



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2013/अग्रहायण 11, 1935

[रा.रा.क्ष.दि. सं. 185

No. 184]

DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2013/AGRAHAYANA 11, 1935

[N.C.T.D. No. 185]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2013

सं. 948/नियम/डी.एच.सी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सहपाठि भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 27/40/50-एनजीएस, दिनांक 28 अक्टूबर, 1953 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित एवं माननीय उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सहमति से सहर्ष निम्नांकित नियम बनाता है :

दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें)

नियम, 2012

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :—

- (1) यह नियम “दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2012” कहे जायेंगे।
 (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ :—

इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) “नियुक्ति प्राधिकारी” निम्नलिखित के सन्दर्भ में—

(ए) समूह ‘ए’ में प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं उससे ऊपर के पदों से तात्पर्य दिल्ली उच्च न्यायालय है, एवं

(बी) समूह ए में अन्य समस्त पदों एवं अन्य समूहों में से तात्पर्य जिला न्यायाधीश है।

(2) “संबंधी” से तात्पर्य अनुसूची ए में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा रवौकृत कोई अस्थायी पद जो पिछले एक वर्ष से अस्तित्व में रहा हो, को सम्मिलित करता है;

(3) “मुख्य न्यायाधीश” से तात्पर्य दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है;

- (4) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत वह सक्षम प्राधिकारी जो नियम 26 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति को सेवा के सदस्य पर अधिरोपित करे;
- (5) "जिला" से तात्पर्य अधिसूचना सं. 24/डी.एच.सी./गजट/VI.इ.2(ए)/2008 दिनांक 22.10.2008 के अंतर्गत गठित जिले हैं;
- (6) "जिला न्यायाधीश" से तात्पर्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली है;
- (7) "समतुल्य अर्हता" से तात्पर्य उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचित अर्हता जो पद की किसी श्रेणी के सम्बन्ध में इन नियमों में विनिर्दिष्ट अर्हता के समतुल्य है;
- (8) "सरकार" से तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार है;
- (9) "समूह" से तात्पर्य नियम 3 के उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा के समूह से है;
- (10) "उच्च न्यायालय" से तात्पर्य दिल्ली उच्च न्यायालय है;
- (11) "सेवा का सदस्य" से तात्पर्य इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा में नियुक्त व्यक्ति से है;
- (12) "राजपत्र" से तात्पर्य दिल्ली राजपत्र है;
- (13) "अनुशंसा समिति" से तात्पर्य वह समिति जो प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं उससे ऊपर के पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों को उच्च न्यायालय में अनुशंसा करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गयी है एवं वह निम्नलिखित से मिलकर बनी होगी :
- (i) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली; एवं
 - (ii) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के दो सदस्य जिनकी कम से कम दस वर्षों की सेवा हो।

समिति के अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली होंगे।

(14) "भर्ती समिति"

सभी पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए सीधी भर्ती की जानी है, जिला न्यायाधीश निम्नलिखित को मिलाकर एक भर्ती समिति का गठन करेंगे :

- (i) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक सदस्य जिनकी कम से कम दस वर्षों की सेवा हो।
- (ii) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के दो सदस्य जिनकी कम से कम पांच वर्षों की सेवा हो।

समिति के वरिष्ठतम् सदस्य इसके अध्यक्ष होंगे।

स्पष्टीकरण : समूह -सी के पदों में 10 अथवा उससे अधिक रिक्तियों में भर्ती करने हेतु गठित भर्ती समिति के लिए यह आजापक होगा कि वह अनु. जा./अनु.जन. के समुदाय का एक सदस्य रखें।

(15) "चयन समिति" :

(ए) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं उससे ऊपर के पद के सन्दर्भ में से तात्पर्य वह समिति जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण की ऐसी संख्या से मिलकर बनी हो जैसी कि माननीय मुख्य न्यायाधीश उचित समझें;

(बी) समूह ए के अन्य समस्त पदों एवं अन्य समूहों के सन्दर्भ में से तात्पर्य एक अथवा उससे अधिक समिति अथवा समितियां जो कि जिला न्यायाधीश के द्वारा निम्नलिखित को मिलाकर गठित की गयी हो :

- (i) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक सदस्य जिनकी कम से कम दस वर्षों की सेवा हो;

- (ii) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक सदस्य जिनकी कम से कम पांच वर्षों की सेवा हो; एवं.
- (iii) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अथवा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रशासनिक सिविल न्यायाधीश।
- समिति के अध्यक्ष, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के वरिष्ठतम् सदस्य होंगे।

स्पष्टीकरण : समूह - सी के पद के सम्बन्ध में गठित अध्यन समिति हेतु यह आजापक होगा कि वह अनु.जा./अनु.जन. समूदाय का एक सदस्य रखें।

- (16) “सेवा” से तात्पर्य दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना सेवा से है जैसा कि नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित है; एवं
- (17) “राज्य” से तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली है।

अध्याय - ॥

सेवा का गठन

3 सेवा का गठन :

- (1) इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि को एवं उसके पश्चात एक राज्य सिविल सेवा का गठन किया जाएगा जिसे दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना सेवा के रूप में जाना जाएगा।
- (2) सेवा, अनुसूची ए के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पदों की कोटि अथवा संवर्गों से मिलकर गठित की जायेगी। समूह एवं प्रत्येक संवर्गों में पदों की संख्या एवं उनका वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि उसके स्तम्भ (3) से (9) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है।
- (3) पद, समूह ए (राजपत्रित) कोटि; समूह बी (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) कोटि एवं समूह सी (अराजपत्रित) कोटि में होंगे।

(4) ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व इन नियमों की अनुसूची ए में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारित करते हैं, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा के सम्बन्धित समूह में नियुक्त हो चुके समझे जायेंगे ।

अध्याय - III

भर्ती

4 भर्ती की विधि एवं अर्हता इत्यादि -

अनुसूची बी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के पदों के प्रत्येक कोटि के सम्बन्ध में भर्ती की विधि एवं न्यूनतम अर्हता वह होगी जैसी कि उसके स्तंभों (3) एवं (4) में तत्स्थानिक प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है ।

5 प्रधान निजी सचिव को नियुक्त करने की प्रक्रिया :

(1) जिला न्यायाधीश का यह एकल विवेकाधिकार होगा कि वह प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) के पूल में उपलब्ध व्यक्तियों में से प्रधान निजी सचिव को नियुक्त करे ।

(2) वह (श्री/श्रीमती) उक्त पद को ऐसी अवधि के लिए धारित करते रहेंगे जैसा कि जिला न्यायाधीश द्वारा वांछित हो ।

(3) उप-नियम 2 के अध्यधीन, उनका अथवा उनकी नियुक्ति उनको अथवा उनकी नियुक्त करने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा कार्यालय की काम बंदी के साथ सह विस्तारी होगी ।

6 नियुक्ति हेतु निरहता :

(1) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो ।

(2) कोई पुरुष जो एक से अधिक पत्नी रखता हो एवं कोई महिला जिसकी ऐसे पुरुष से शादी हुई हो जो पहले से ही एक और पत्नी रखता हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे ।

(3) कोई व्यक्ति जो अपनी अभ्यर्थिता के लिए पदधारी अथवा अशासकीय व्यक्ति से किसी भी तरीके से बाह्य समर्थन लेने का प्रयास करता है, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा ।

(4) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह (पुरुष अथवा महिला) -

(ए) किसी ऐसे निकाय अथवा संगम को विधि विरुद्ध निकाय अथवा संगम घोषित किये जाने के पश्चात उसका सदस्य हो अथवा रह चुका हो, अथवा वह (पुरुष अथवा महिला) स्वयं ऐसे निकाय अथवा संगम के साथ सम्बद्ध रह चुका हो; अथवा

(बी) किसी ऐसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में भाग ले चुका हो अथवा सम्बद्ध हो जो

- (i) भारतीय संविधान के उन्मूलन की ओर उद्देशित हो;
- (ii) किसी संगठित विधि भंग अथवा अवज्ञा की ओर उद्देशित जिसमें हिंसा सम्मिलित हो;
- (iii) भारत की प्रभुता एवं अखंडता के हितों अथवा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो; अथवा
- (iv) जनता के विभिन्न भागों के मध्य धर्म, मूल वंश, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर शत्रुता अथवा घृणा की भावना को प्रोत्साहित करता हो; अथवा

(सी) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है;

(डी) संघ अथवा किसी राज्य सिविल सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा अथवा चयन में भाग लेने हेतु विवर्जित अथवा निर्हरित कर दिया गया हो अथवा किया जा चुका हो; एवं

(ई) नैतिक अधमता को समाविष्ट करते हुए किसी अपराध में दोषसिद्ध कर दिया गया हो अथवा किया जा चुका हो ।

7 नियुक्ति हेतु आयु सीमा :

जब तक कि इन नियमों की अनुसूची बी में प्रतिकूल विनिर्दिष्ट न हो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी अठारह वर्षों की आयु आवश्यक रूप से प्राप्त कर चुका हो एवं निम्नलिखित आयु -

- (ए) किसी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों से सम्बंधित व्यक्ति के मामले में बत्तीस वर्ष;
- (बी) किसी अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित व्यक्ति के मामले में तीस वर्ष;
- (सी) शारीरिक रूप से विकलांग कोटि से सम्बंधित व्यक्ति के मामले में सेंतीस वर्ष;
- (डी) शारीरिक रूप से विकलांग अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में चालीस वर्ष;
- (ई) शारीरिक रूप से विकलांग अनु.जा./अनु.जन. अभ्यर्थियों के मामले में बयालीस वर्ष;
- (एफ) किसी अन्य कोटि के व्यक्ति के मामले में सत्ताईस वर्ष ;

आवेदनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा अन्य किसी ऐसी तिथि को जो जिला न्यायाधीश द्वारा आवेदनों को आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी हो, न प्राप्त की हो

8 नियुक्ति के आरक्षण हेतु प्रावधान :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अन्य हेतु ऐसी सीमा तक एवं ऐसी रीति से पदों को आरक्षित किया जाएगा जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

9 भर्ती प्रकोष्ठ :

जिला न्यायाधीश, पर्याप्त कर्मचारी सहित एवं प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) की अध्यक्षता में सेवानिवृत्ति अथवा पदोन्नति अथवा त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्तियों के बारे में सतत रूप से सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से एक

भर्ती प्रकोष्ठ का गठन करेंगे। प्रकोष्ठ, समितियों के दिशा निर्देशों के अनुसार भर्ती एवं चयन प्रक्रिया में भर्ती समिति एवं चयन समिति को सहयोग करेगा।

प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करने वाले प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास में जिला न्यायाधीश के समक्ष सीधी भर्ती की विद्यमान एवं वर्ष के दौरान पदों की विभिन्न कोटियों में संभावित रिक्तियों की संख्या के विवरण को समाविष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

10. सीधी भर्ती :

(1) जिला न्यायाधीश, भर्ती प्रकोष्ठ की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, नियम 2 (14) के निबंधनों के अनुसार विद्यमान एवं वर्ष के दौरान पदों की विभिन्न कोटियों में संभावित रिक्तियों में सीधी भर्ती करने के उद्देश्य हेतु भर्ती समिति (यों) का गठन करेंगे।

(2) उसके पश्चात भर्ती समिति(याँ) भर्ती हेतु अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या एवं विभिन्न आरक्षित कोटियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या को इंगित करते हुए पर्याप्त विज्ञापन देकर आवेदनों को आमंत्रित करेंगी।

(3) नियम 11 से 14 के अध्यधीन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती, अर्हता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों जैसा कि नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित है एवं नियम 12 के अंतर्गत साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।

11 साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता :

(1) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के चयन के उद्देश्य हेतु, भर्ती समिति, अर्हता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों के नामों की सूची उनके योग्यता क्रम में तैयार करेगी। अभ्यर्थी, जिनका नाम ऐसी सूची में सम्मिलित किया गया है, के बीच में से, जहाँ तक हो सके, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के दस गुने के बराबर अभ्यर्थियों की ऐसी संख्या जो योग्यता क्रम में चयनित हैं, साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे। बशर्ते कि यदि ऐसे सभी अभ्यर्थियों की अपेक्षा दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो वे भी साक्षात्कार हेतु बुलाये जायेंगे।

12 साक्षात्कार :

- (1) भर्ती समिति जिला न्यायाधीश के परामर्श से एवं साक्षात्कार हेतु नियम 11 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या पर निर्भर करते हुए समितियों की ऐसी संख्या गठित करेगी जैसी कि वह आवश्यक समझँ। यदि जहां पर गठित भर्ती समिति(यों) की संख्या एक से अधिक है तो भर्ती समिति उनकी पहचान के लिए समितियों की ऐसी संख्या देगी जैसी कि वह उचित समझँ; उदाहरणस्वरूप साक्षात्कार समिति सं।, साक्षात्कार समिति संख्या ॥, साक्षात्कार समिति सं।।।, इत्यादि। जिला न्यायाधीश, समिति(यों) के अध्यक्ष (ओं) के परामर्श से अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया में मानकों की एकरूपता बनाए रखने के लिए व्यक्तित्व के बौद्धिक एवं सामाजिक चरित्र को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा आवेदित पद में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए साक्षात्कार हेतु उचित मानदंड निर्धारित करेंगे।
- (2) जहां पर साक्षात्कार समितियों की संख्या एक से अधिक हो वहां पर भर्ती समिति उनको अभ्यर्थियों की ऐसी संख्या आवंटित करेगी ताकि पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कम से कम समयावधि में दक्षतापूर्वक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- (3) भर्ती समिति(याँ), अंतिम साक्षात्कार की समाप्ति के तुरंत बाद शीघ्रातिशीघ्र व्यवहारिक, सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों सहित साक्षात्कारित अभ्यर्थियों की पूर्ण सूची ऐसे प्रारूप में जैसा कि जिला न्यायाधीश द्वारा वांछित हो, अग्रेषित करेगी।

13 चयनित अभ्यर्थियों की सूची :

- (1) भर्ती समिति नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित अहता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों एवं नियम 12 के अंतर्गत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के कुल योग के आधार पर एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य

पिछङा वर्गों एवं अन्य के हेतु आरक्षित पदों से सम्बन्धित प्रवृत्त आदेशों पर विचार करते हुए पद की कोटि में नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची योग्यता क्रम में तैयार करेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों का नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित अहता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों एवं नियम 12 के अंतर्गत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का कुल योग बराबर है तो ऐसे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में योग्यता क्रम उनकी उम्र के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जो व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण उम्र में बड़े होंगे योग्यता क्रम में उच्च स्थान पर रखे जायेंगे। ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों की संख्या भर्ती हेतु अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी।

(2) भर्ती समिति, उप-नियम (1) के अंतर्गत तैयार चयनित सूची में सम्मिलित नहीं किये गए अभ्यर्थियों के नामों को अंतर्विष्ट करते हुए योग्यता क्रम में उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों का पैनल भी तैयार करेगी जिसमें, जहां तक संभव हो, सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का दस प्रतिशत होगी।

(3) उप-नियम (1) एवं (2) के अंतर्गत इस प्रकार तैयार की गई सूचियों को जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायेगी एवं जैसा जिला न्यायाधीश निदेश करें उस तरीके से प्रकाशित होंगी।

14 अभ्यर्थियों की नियुक्ति :

(1) नियम 16 के अध्यधीन, अभ्यर्थियों जिनके नाम उप नियम (1) के अंतर्गत तैयार चयन सूची में सम्मिलित किये गए हैं एवं नियम 13 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रकाशित किये गए हैं, संवर्ग में पद की नियुक्ति हेतु हर प्रकार से उपयुक्त पाए जाने वाले प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को जैसा कि आवश्यक समझा जाए ऐसी पूछताछ के पश्चात एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात, संवर्ग विशेष में उस क्रम में जिसमें उनका नाम चयन सूची में पाया जाता है रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त

किये जायेंगे। वे अभ्यर्थी जिनके नाम उप-नियम (2) के अंतर्गत तैयार सूची में सम्मिलित किये गए हैं एवं नियम 13 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रकाशित किये गए हैं, अभ्यर्थियों जिनके नाम नियम 13 के उप-नियम (1) के अंतर्गत तैयार सूची में सम्मिलित किये गए हैं नियुक्त हो जाने के पश्चात अभी भी उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध उसी प्रकार से नियुक्त किये जायेंगे।

(2) नियम 13 के अंतर्गत प्रकाशित किसी भी दो सूचियों में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

15 सूचियों के प्रवर्तन की अवधि :

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 13 के अंतर्गत किसी संवर्ग के सम्बन्ध में प्रकाशित अभ्यर्थियों की चयन सूचियाँ उसके प्रकाशन से 12 मास की अवधि हेतु वैध होगी। किन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूचियों का समय आगे 06 मास की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। बशर्ते कि चयन सूचियों की वैधता अगले चयन के आधार पर ऐसे संवर्ग के सम्बन्ध में तैयार सूची के प्रकाशन की तिथि से आदेशित नहीं रहेगी।

नियम 13 के उप-नियम (2) के अंतर्गत तैयार सूची भी नियम 13(1) के अंतर्गत चयन सूची की वैधता की अवधि के पश्चात वैध नहीं होगी।

16 उपयुक्तता एवं चरित्र प्रमाण पत्रों से सम्बंधित शर्तेः

कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि वह सच्चरित्र है एवं सेवा में नियुक्ति हेतु हर प्रकार से उपयुक्त है। सीधी भर्ती हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष दो सम्मानित व्यक्तियों जो उससे सम्बंधित न हों के द्वारा दिये गए प्रमाण पत्र जो उसके चयन की तिथि से छः मास से पहले का न हो, प्रस्तुत करेगा।

यदि नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता से सम्बंधित कोई संदेह उत्पन्न होता है तो नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

17 शुल्क :

पद की किसी कोटि में सीधी भर्ती हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा ऐसा शुल्क देना अपेक्षित होगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदनों से सम्बंधित विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा विकलांग कोटि के अभ्यर्थी की दशा में देय शुल्क इस नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शुल्क का आधा होगा ।

18 नियुक्ति हेतु कार्यग्रहण अवधि :

(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया अभ्यर्थी नियुक्ति के आदेश की तिथि के पश्चात, शीघ्रातिशीघ्र संभव, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पद के कार्यभार को ग्रहण करेगा लेकिन तिथि से पैंतालीस दिनों के पश्चात नहीं ।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के उद्देश्य हेतु “नियुक्ति के आदेश की तिथि” से तात्पर्य अभ्यर्थी द्वारा दिए गए पते पर पंजीकृत डाक द्वारा नियुक्ति के आदेश को भेजे जाने की तिथि से है ।

(2) उप-नियम (1) में कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थी के आवेदन पर एवं यदि संतुष्ट होते हैं कि ऐसा करने हेतु सही एवं पर्याप्त कारण हैं तो लिखित आदेश द्वारा जैसा उचित समझौं ऐसा अतिरिक्त समय प्रदान कर सकते हैं लेकिन तीन मास से अधिक नहीं ।

(3) अभ्यर्थी का नाम जो उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अथवा उप-नियम (2) के अंतर्गत प्रदान किये गए अतिरिक्त समय के अन्दर पद के कार्यभार को ग्रहण करने में असफल होता है, चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से हटा दिया जाएगा एवं सम्बंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता समाप्त हो जायेगी ।

19 पदोन्नति द्वारा भर्ती :

(1) जिन न्यायाधीश, प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास में पदों की विभिन्न कोटि

में विद्यमान एवं वर्ष के दौरान संभावित पदोन्नति रिक्तियों का निर्धारण करेंगे।

(2) जिला न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं उससे ऊपर के पदों हेतु रिक्तियों को अधिसूचित करेंगे एवं उन पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने वाले क्षेत्र में आने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों की सूची को अनुशंसा समिति को अग्रेषित करेंगे। अनुशंसा समिति, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार उपयुक्तता -सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) के पदों के 25% कोटा में पदोन्नति पर उनके नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी एवं पदों के शेष 75% हेतु साक्षात्कार परीक्षा सहित एक विभागीय परीक्षा संचालित करेगी। समिति, उसके पश्चात उपयुक्त नहीं पाए गए व्यक्तियों की सूची के साथ, इसके लिए कारण बताते हुए, इस प्रकार चयनित व्यक्तियों की सूची उच्च न्यायालय को अग्रेषित करेगी।

इस प्रकार प्राप्त सूची नियम 2(15)(a) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी एवं चयन समिति, समिति की संस्तुतियों को या तो स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है अथवा जैसा ठीक समझे उपयुक्त रूप से आशोधन कर सकती है। उसके पश्चात अंतिम सूची को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके विचार हेतु रखा जाएगा एवं जो उसके पश्चात अनुमोदन हेतु फुल कोर्ट को अग्रेषित करेंगे।

(3) उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कोटि की दशा में उच्च न्यायालय अभ्यर्थी की योग्यताओं को निर्धारित करने वाले मानदंड को अधिकथित करेगा।

(4) जिला न्यायाधीश, समूह - ए में सभी अन्य पदों एवं अन्य समूहों हेतु रिक्तियों को भी अधिसूचित करेंगे एवं नियम 2(15)(b) के अनुसार एक

चयन समिति का गठन करेंगे। किन्तु, वरिष्ठ न्यायिक सहायक के पद हेतु, चयन समिति, उपयुक्तता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा 50% के कोटा में पदोन्नति पर उनके नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी एवं पदों के शेष 50% हेतु साक्षात्कार सहित एक विभागीय परीक्षा का संचालन करेगी। समिति, उसके पश्चात उपयुक्त नहीं पाए गए व्यक्तियों की सूची के साथ, इसके लिए कारण बताते हुए, इस प्रकार चयनित व्यक्तियों की सूची जिला न्यायाधीश को अग्रेषित करेगी।

(5) उप-नियम 4 में संदर्भित अभ्यर्थियों की कोटि की दशा में, जिला न्यायाधीश, चयन समिति के परामर्श से अभ्यर्थियों की योग्यता को निर्धारित करने वाले मानदंड को अधिकथित करेंगे।

20 नियुक्ति :

नियम 2 के उप-नियम (15) के अनुसार गठित चयन समिति(यां), चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की समाप्ति के दो दिवसों के भीतर जिला न्यायाधीश को पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची अग्रेषित करेगी। जिला न्यायाधीश, जैसा भी आवश्यक समझें, ऐसी पूछ-ताछ करने के पश्चात इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर सकते हैं अथवा ऐसा आदेश, जैसा वो ठीक समझें, दे सकते हैं।

अध्याय - IV

परिवीक्षा एवं स्थानापन्नता

21 परिवीक्षा एवं स्थानापन्नता :

(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में सभी नियुक्तियां दो वर्षों की अवधि हेतु परिवीक्षा पर होंगी।

(2) पदोन्नति द्वारा सभी नियुक्तियां दो वर्षों की अवधि हेतु स्थानापन्न आधार पर होंगी।

(3) परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, की अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से कारण बताते हुए ऐसी अवधि तक

विस्तारित की जा सकती है जो उपरोक्त उपनियमों (1) अथवा (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, की सामान्य अवधि के दोगुने से अधिक न हो।

(4) परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता की अवधि अथवा परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता की विस्तारित अवधि, जैसी भी दशा हो, के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त अथवा पदोन्नत व्यक्ति के द्वारा वह पद जिस पर वह नियुक्त अथवा पदोन्नत हुआ है के धारण करने की उपयुक्तता पर विचार करेंगे, एवं -

(i) यदि यह निर्णय करते हैं कि वह पद जिस पर वह नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है को धारण करने के लिए उपयुक्त है एवं परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, की अवधि के दौरान उत्तीर्ण किये जाने के लिए अपेक्षित, यदि कोई हो, परीक्षाएं अथवा परीक्षणों को उत्तीर्ण कर चुका है तो यह, शीघ्रातिशीघ्र संभव, परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, की अवधि को संतोषपूर्वक पूर्ण कर लेने की घोषणा करते हुए एक आदेश जारी करेंगे; एवं ऐसा आदेश, विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, की अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रभावी होगा।

(ii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह समझते हैं कि व्यक्ति उस पद को जिसमें उसे नियुक्त अथवा पदोन्नत, जैसी भी दशा हो, किया जाता है धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह आदेश द्वारा

(ए) यदि वह एक प्रोन्नत व्यक्ति है तो उसे पदोन्नति के पूर्व धारित पद पर प्रत्यावर्तित;

(बी) यदि वह एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति है तो उसे सेवा से मुक्त; कर दिया जाएगा।

(5) व्यक्ति को परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, की अवधि को संतोषपूर्वक पूर्ण कर लेना नहीं माना जाएगा जब तक कि इस सम्बन्ध

में विनिर्दिष्ट आदेश नहीं जारी किया जाता। ऐसे आदेश के जारी किये जाने में कोई देरी व्यक्ति को स्थानापन्नता अथवा परिवीक्षा, जैसी भी दशा हो, की अवधि को संतोषपूर्वक पूर्ण कर लिए जाने के मानने हेतु अधिकृत नहीं करेगी।

22. परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को कार्य मुक्त करना :

- (1) नियम 21 में कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी समय परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा हेतु उसकी अनुपयुक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त कर सकते हैं।
- (2) उप नियम (1) के अंतर्गत आदेश, कार्य मुक्ति हेतु आधारों को इंगित करेगा किन्तु कोई अनुशासनिक कार्रवाई आवश्यक नहीं होगी।

23 परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि

- (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति अथवा प्रोन्नत व्यक्ति उन वेतन वृद्धियों को आहरित कर सकता है जो परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता की अवधि के दौरान देय हैं। किन्तु, वह परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता की अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई भी वेतन वृद्धि तब तक आहरित नहीं करेगा जब तक कि वह परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, को संतोषपूर्वक पूर्ण कर लेना घोषित नहीं कर दिया जाता है।
- (2) जब एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति अथवा प्रोन्नत व्यक्ति को उसके परिवीक्षा अथवा स्थानापन्नता, जैसी भी दशा हो, को संतोषपूर्वक पूर्ण कर लेना घोषित कर दिया जाता है तो वह, ऐसे आदेश के प्रभावित होने की तिथि से, ऐसा वेतन आहरित करेगा जो वह यदि उक्त अवधि हेतु वेतन वृद्धियों की अनुमति होने पर आहरित करता जब तक कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति की वैधता

- (i) परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में न्यायालय के समक्ष किसी विधिक कार्यवाहियों में आक्षेपित नहीं की जाती है तो ऐसे व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि तब तक जारी रहेगी जब तक कि ऐसी कार्यवाहियों का अंतिम निपटान नहीं हो जाता;

(ii) स्थानापन्नता के आधार पर प्रोन्नत व्यक्ति के रूप में न्यायालय के समक्ष किसी विधिक कार्यवाहियों में आक्षेपित नहीं की जाती हैं तो ऐसे प्रोन्नत व्यक्ति की स्थानापन्नता की अवधि तब तक जारी रहेगी जब तक कि ऐसी कार्यवाहियों का अंतिम निपटान नहीं हो जाता ।

अध्याय V

वरिष्ठता

24. वरिष्ठता

(1) भर्ती के नियमों के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त हुआ एक अधिकारी / कर्मचारी अस्थायी अथवा तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होगा ।

(2) जहां अधिकारीगण / कर्मचारीगण एक ही संवर्ग में पदोन्नति, विभागीय परीक्षा या सीधी भर्ती के द्वारा भर्ती होते हैं तथा उनकी नियुक्ति की तिथि समान है तो पदोन्नति द्वारा भर्ती अधिकारीगण सीधी भर्ती तथा विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारीगण/ कर्मचारीगण के ऊपर वरिष्ठता प्राप्त करेंगे ।

(3) उप-नियम (5) से (8) में उपबंधित के अलावा पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण की वरिष्ठता उनकी योग्यता की स्थिति के अनुसार निश्चित होगी ।

(4) उप-नियम (3) के अध्यधीन, यदि प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) के पद पर पदोन्नति की गयी है, तो उस आदेश के द्वारा जिसमें अभ्यर्थियों के नाम अनुसूची बी की क्रम संख्या 4 के अनुसार तैयार चयन सूची में क्रमबद्ध हैं ।

(5) अन्य सभी पदों के लिए जहां एक से अधिक अधिकारी/ कर्मचारी एक ही समय में एक संवर्ग पर पदोन्नत होते हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता इस प्रकार निश्चित होगी -

(i) यदि पदोन्नति किसी एक संवर्ग से होती हैं तो निचले संवर्ग में उनकी परस्पर वरिष्ठता द्वारा;

- (ii) यदि पदोन्नति एक ही ग्रेड के एक से अधिक संवर्ग द्वारा होती हैं तो उन संवर्गों में उनकी सेवाकाल द्वारा;
- (iii) यदि पदोन्नति विभिन्न ग्रेड के एक से अधिक संवर्ग से होती हैं तो उस आदेश द्वारा जिसमें अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में क्रमबद्ध हैं।
- (6) जहाँ एक संवर्ग पर सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक व्यक्ति की भर्ती होती है तो इस प्रकार भर्ती व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता चयन सूची में क्रमबद्ध उनके नामों के क्रम में होगी।
- (7) प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में सभी संवर्ग के अधिकारीगण/कर्मचारीगण की वरिष्ठता की सूची नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा तैयार व प्रकाशित की जायेगी तथा इस प्रकार प्रकाशित सूचियाँ अगले उच्च संवर्ग पर पदोन्नति के प्रयोजन हेतु प्रयोग की जायेंगी।
- (8) संवर्ग बदलने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति की वरिष्ठता, जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है, बदले हुए संवर्ग में यह समझते हुए निश्चित की जायेगी जैसा कि वह उस दिन संवर्ग में शामिल होने वाला आखिरी व्यक्ति है।

अध्याय VI

निलंबन

25. निलंबन

- (1) नियुक्ति प्राधिकरण या कोई प्राधिकरण जिसके यह अधीनस्थ है अथवा कोई अन्य प्राधिकारी जो उच्च न्यायालय के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसकी ओर से सशक्त है, सेवा के सदस्य को निलंबित कर सकती है।
- (ए) जहाँ उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है अथवा लंबित है; या
- (बी) जहाँ उपरोक्त प्राधिकारी के विचार में वह किसी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित है जो राज्य की सुरक्षा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है।

(सी) जहां उसके विरुद्ध दांडिक अपराध से सम्बंधित कोई वाद अन्वेषण, जांच या विचरण के अधीन है।

बशर्ते, जहां निलंबन आदेश नियुक्ति प्राधिकरण से निम्न किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो ऐसा प्राधिकारी निलंबन आदेश पारित करने की परिस्थितियों की रिपोर्ट तुरंत नियुक्ति प्राधिकरण को देगा।

(2) सेवा का सदस्य नियुक्ति प्राधिकरण के आदेश द्वारा निलंबन के अंतर्गत समझा जाएगा।

(ए) यदि वह 48 घंटे से अधिक की समयावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध है, चाहे आपराधिक आरोप में या अन्यथा, तो उसके निरोध की तिथि से;

(बी) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि होने की दशा में वह 48 घंटे से अधिक की समयावधि के लिए दण्डित किया गया है तथा इसके तुरंत पश्चात उसे पदच्युत या हटाया या ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात अनिवार्यतः सेवानिवृत नहीं किया जाता तो उसकी दोषसिद्धि की तारीख से।

व्याख्या - इस उप-नियम के खंड (बी) में निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात कारावास के आरम्भ से की जायेगी तथा इस प्रयोजन हेतु कारावास की आंतरायिक कालावधियों, यदि हों, को विचार में लिया जाएगा।

(3) जहां सेवा के निलंबित सदस्य पर अधिरोपित पदच्युति, हटाये जाने या सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अपील अथवा इन नियमों के अंतर्गत पुनर्विलोकन में अपास्त होती है तथा मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई या कोई अन्य निर्देशों के साथ भेजा जाता है तो उसके निलंबन का आदेश पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृति के वास्तविक आदेश की तिथि से प्रवृत्त समझा जाएगा तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

(4) जहां न्यायालय के विनिश्चय के द्वारा या इसके परिणामस्वरूप सेवा के सदस्य पर अधिरोपित पदच्युति, हटाये जाने या सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अपास्त हो जाती है या शून्य घोषित हो जाती है तथा अनुशासनिक प्राधिकरण, मामले की परिस्थितियों की समीक्षा पर, जांच को आगे बढ़ाने का फैसला उन अभिकथनों पर करता है जिन पर पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति वास्तव में अधिरोपित की गयी थी, सेवा का सदस्य नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के वास्तविक आदेश की तिथि से निलंबित किया समझा जाएगा तथा अगले आदेशों तक निलंबित रहेगा।

बशर्ते कि ऐसी किसी अन्य जांच का आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय तब जब यह ऐसी स्थिति का सामना करती है जहां न्यायालय ने मामले के गुण में जाए बिना केवल तकनीकी आधार पर आदेश प्रवृत्त रहेगा जब तक यह ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा संशोधित या वापिस नहीं लिया जाता।

(5) (ए) उप-नियम (7) में दिए प्रावधानों के अध्यधीन, इस नियम के अंतर्गत दिया गया या दिया समझा गया निलंबन का आदेश प्रवृत्त रहेगा जब तक यह ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा संशोधित या वापिस नहीं लिया जाता।

(बी) जहाँ सेवा का सदस्य निलंबित किया जाता है या निलंबित किया हुआ समझा जाता है (चाहे किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या अन्यथा के सम्बन्ध में) और उस निलंबन के जारी रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ होती है तो उसे निलंबित रखने के लिए

सक्षम प्राधिकरण, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, यह निदेश दे सकता है कि सेवा का सदस्य ऐसे सभी या किसी एक कार्यवाही के समाप्त होने तक निलंबित रहेगा।

(सी) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया समझा गया निलंबन का आदेश किसी भी समय ऐसे प्राधिकरण द्वारा जिसने यह आदेश दिया है या जिसके द्वारा दिया समझा गया है या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जिसके यह प्राधिकरण अधीन है संशोधित किया जा सकता है या वापिस लिया जा सकता है।

(6) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया समझा गया निलंबन का आदेश इस प्रयोजन हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति की सिफारिश पर, निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिवसों के भीतर, इसमें संशोधन करने या इसे वापिस लेने में सक्षम प्राधिकरण द्वारा पुनर्विलोकित किया जाएगा, और निलंबन के विस्तार या वापिस लेने का आदेश पारित किया जायेगा। पश्चातवर्ती पुनर्विलोकन निलंबन की विस्तारित कालावधि की समाप्ति से पहले होंगे। निलंबन का विस्तार एक समय में 180 दिवसों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।

(7) इस नियम के उप-नियमों (1) और (2) के अधीन दिया गया या दिया समझा गया निलंबन का आदेश 90 दिवसों की अवधि के पश्चात मान्य नहीं होगा जब तक कि यह 90 दिवसों की समाप्ति से पहले पुनर्विलोकन के पश्चात अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तृत नहीं किया जाता।

अध्याय VII

शास्तियां

26. शास्तियां :-

सेवा के सदस्य पर अच्छे एवं पर्याप्त कारण के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक शास्तियां अधिग्रोपित की जा सकती हैं, अर्थात् :

छोटी शास्तियां :

- (i) परिनिन्दा;
- (ii) उसकी पदोन्नति रोकना;
- (iii) लापरवाही या आदेश-भंग के कारण सरकार या उच्च न्यायालय को उसके द्वारा कारित कोई धनीय हानि की उसकी वेतन से पूर्ण या आंशिक वसूली;
- (iii)(ए) उसकी पेंशन पर प्रतिकूल रूप से अथवा संचयी प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए एक निम्न वेतनमान वाले पद पर अवनति;
- (iv) वेतनवृद्धि को रोकना;

बड़ी शास्तियां -

- (v) खंड (iii)(ए) में उपबंधित के सिवाय, विनिर्दिष्ट समय के लिए निम्न वेतनमान वाले पद पर अवनति, ऐसे अतिरिक्त निदेश सहित कि क्या ऐसी अवनति के दौरान सेवा के सदस्य को वेतनवृद्धि मिलेगी या नहीं तथा क्या ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात अवनति उसके वेतन की भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी।

- (vi) सेवा का सदस्य जिस ग्रेड, पद या सेवा से अवनत हुआ था उस पर प्रत्यावर्तन में तथा उसकी वरिष्ठता एवं उस ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसे प्रत्यावर्तन पर उसके वेतन के सम्बन्ध में आगामी निदेशों सहित या उनके बिना निचले वेतनमान, ग्रेड, पद, या सेवा पर अवनति जो साधारणतः सेवा के सदस्य के वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा जिससे वह नीचे गया था, पर पदोन्नति के लिए बाधा होगी,

(vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(viii) सेवा से निष्कासन जो कि सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी ।

(ix) सेवा से बर्खास्तगी जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए साधारणतः अयोग्यता होगी ।

बशर्ते, प्रत्येक स्थिति में जहां आय के जात स्रोत के अननुपात में संपत्तियों के परिग्रह का आरोप या किसी राजकीय कार्य को करने या न करने हेतु पुरुस्कार के रूप में, किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक के अलावा, कोई परितोषण लेने का आरोप, स्थापित होता है, खंड (viii) या खंड (ix) में उल्लिखित शास्त्रियां अधिरोपित की जायेंगी :

परन्तु आगे भी किसी असाधारण स्थिति में तथा ऐसे विशेष कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, अन्य शास्त्र अधिरोपित की जा सकती है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के अर्थ के अंतर्गत निम्नलिखित शास्त्र शामिल नहीं होगी, अर्थात् :-

(i) सेवा के सदस्य द्वारा सेवा जिससे वह सम्बंधित हो अथवा जिस पद पर वह आसीन हो अथवा उसकी नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासी नियमों अथवा आदेशों के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहने के कारण उसकी वेतन-वृद्धि रोकना;

(ii) सेवा के सदस्य को एक वेतनमान में दक्षतारोध पर अस्वस्थता के कारण सीमा पार करने पर अवरोध के आधार पर रोकना;

(iii) सेवा के सदस्य के मामले की समीक्षा के पश्चात् उसकी ऐसी सेवा, ग्रेड अथवा पद पर गैर-पदोन्नति, चाहे अधिष्ठायी या स्थानापन्न रूप से, जिस पर पदोन्नति हेतु वह योग्य है;

(iv) उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद में स्थानापन्न सेवा के सदस्य का इस आधार पर कि ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद के लिए अथवा उसके आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासनिक आधार पर उसे अनुपयुक्त माना गया है, निम्न सेवा, ग्रेड अथवा पद में प्रत्यावर्तन;

- (v) किसी अन्य सेवा, ग्रेड अथवा पद हेतु परिवीक्षा पर नियुक्त सेवा के सदस्य का उसकी नियुक्ति की शर्तों या नियमों तथा ऐसे परिवीक्षा शासी आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान या अंत में उसकी स्थाई सेवा, ग्रेड अथवा पद पर प्रत्यावर्तन;
- (vi) सेवा का सदस्य जिसकी सेवाएं राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से ली गई, की सेवा का प्रतिस्थापन राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण जिससे ऐसे सेवा के सदस्य की सेवाएं ली गयी हों के निपटान पर;
- (vii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता अथवा सेवानिवृत्ति से सम्बंधित प्रावधानों के अनुसार उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति;
- (viii) सेवाओं का समापन -
- (ए) परिवीक्षा पर नियुक्त सेवा के सदस्य की उसकी नियुक्ति अथवा ऐसे परिवीक्षा शासी नियमों तथा आदेशों के अनुसार उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा अंत में, अथवा
- (बी) केंद्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार सेवा के अस्थायी सदस्य का, अथवा
- (सी) अनुबंध के अंतर्गत नियुक्त सेवा के सदस्य का, ऐसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार।

27. अनुशासनिक प्राधिकरण

- (1) उच्च न्यायालय सेवा के किसी भी सदस्य पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों में से कोई भी अधिरोपित कर सकता है।
- (2) उप-नियम (1) के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना जिला न्यायाधीश सेवा के किसी भी सदस्य, जिसका वह नियुक्ति प्राधिकरण हो, पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों में से कोई भी शास्त्र अधिरोपित कर सकता है।
- (3) जिला न्यायाधीश सेवा के किसी भी सदस्य, जिसका नियुक्ति प्राधिकरण उच्च न्यायालय हो, पर नियम 26 के खंड (i) से (iv) में प्रगणित शास्त्रियों में से कोई भी शास्त्र अधिरोपित करने हेतु भी सशक्त होगा।

28. कार्यवाहियां प्रारम्भ करने हेतु प्राधिकरण :-

उच्च न्यायालय, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, निम्न कर सकता है-

- (1) सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करना
- (2) उप-नियम (1) के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना उच्च न्यायालय सेवा के किसी सदस्य, जिस पर जिला न्यायाधीश नियम 26 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति इन नियमों के अंतर्गत अधिरोपित करने में सक्षम हो, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए निर्देश दे सकता है।
- (3) नियम 26 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने हेतु इन नियमों के अंतर्गत सक्षम जिला न्यायाधीश सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध नियम 26 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ कर सकता है तथापि जिला न्यायाधीश इन नियमों के तहत बाद की कोई भी शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु सक्षम नहीं हैं।

स्पष्टीकरण - जांच के निष्कर्ष अथवा जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर यदि जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि लघु शास्ति मामले की आवश्यकता पूर्ण कर देती है तो उच्च न्यायालय, जो सम्बद्ध सेवा के सदस्यों पर बड़ी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम है, के अनुमोदन के बिना लघु शास्ति अधिरोपित करना उसकी सक्षमता के अंतर्गत सही होगा।

29. बड़ी शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया :-

- (1) नियम 26 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कोई जांच जहां तक हो सके, इस नियम तथा नियम 30 में प्रदत्त तरीके से, अथवा लोक सेवक (जांच) अधिनियम 1850 (1850 का 37) द्वारा प्रदत्त तरीके से न की जाए जहां ऐसी जांच अधिनियम के अंतर्गत की गई है।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकरण का विचार हो कि सेवा के सदस्य के विरुद्ध अवचार अथवा कदाचार के किसी अभ्यारोपण की सच्चाई के बारे में जांच के आधार हैं, वह स्वयं इसमें जांच कर सकता है, अथवा इस नियम या लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के प्रावधानों के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, उसके सत्य की जांच के लिए प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है।

परन्तु जहाँ केंद्रीय सिविल सेवा (संहिता) नियमावली, 1964 के नियम 3सी के अर्थ में यौन उत्पीड़न की परिवाद हो वहाँ किसी न्यायिक जिला में ऐसी परिवादों की जाँच हेतु स्थापित परिवाद समिति इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जाँच प्राधिकरण समझी जाएगी तथा परिवाद समिति जहाँ तक व्यवहार्य हो इन नियमों में दी गई प्रक्रिया की अनुरूपता में जाँच करेगी यदि परिवाद समिति के लिए यौन उत्पीड़न के परिवादों की जाँच हेतु कोई अलग प्रक्रिया विहित नहीं की गई हो।

स्पष्टीकरण:- जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण स्वयं जाँच करे वहाँ उप-नियम(7) से उप-नियम(20) को एवं उप-नियम(22) में जाँच प्राधिकरण को कोई भी निर्देश अनुशासनिक प्राधिकरण को निर्देश समझा जाएगा।

(3) जहाँ इस नियम तथा नियम 30 के अधीन सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई जाँच करनी प्रस्तावित हो, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण तैयार करेगा अथवा तैयार करवाएगा:

(i) आरोप के भिन्न एवं निश्चित मदों में दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के अभ्यारोपण का सार

(ii) आरोप के हर एक मद की समर्थन में दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के अभ्यारोपण का एक विवरण, जिसमें अंतर्विष्ट होगा-

(ए) सेवा के उस सदस्य की स्वीकृति अथवा संस्वीकृति को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण सुसंगत तथ्यों का एक विवरण।

(बी) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप की मद्दें संधारित किया जाना प्रस्तावित हो।

(4) अनुशासनिक प्राधिकरण सेवा के सदस्य को आरोप की मर्दें, दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के अभ्यारोपण का विवरण एवं उन दस्तावेज़ों तथा साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोपों की हर मद संधारित किया जाना प्रस्तावित हो की प्रतिलिपि देगा अथवा दिलाएगा और सेवा के सदस्य से अपेक्षा करेगा कि वह अपने बचाव का लिखित विवरण विनिर्दिष्ट किए गए समय के अंतर्गत प्रस्तुत करे तथा यह भी बताए यदि वह स्वयं सुनवाई किये जाने की वांछा रखता हो।

(5) (ए) बचाव के लिखित विवरण की प्राप्ति पर, अनुशासनिक प्राधिकरण स्वयं स्वीकृत नहीं किए गए आरोपों की मर्दों की जाँच कर सकता है, अथवा, यदि यह ऐसा करना अनिवार्य समझे तो उप-नियम(2) के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु एक जाँच प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है और जहाँ सेवा के सदस्य द्वारा अपने बचाव के लिखित विवरण में सभी आरोपों की मर्दें स्वीकृत कर ली गयी हों वहां वहन अनुशासनिक प्राधिकरण हर एक आरोप पर वैसे साक्ष्य को लेने के पश्चात जिसे वह उचित समझे अपना मिष्कर्ष अभिलिखित करेगा तथा नियम 30 में दी गयी पद्धति के अनुसार कार्य करेगा।

(बी) यदि सेवा के सदस्य द्वारा बचाव का लिखित विवरण नहीं दिया गया हो तो अनुशासनिक प्राधिकरण आरोपों की मर्दों की जाँच कर सकता है अथवा यदि ऐसा करना अनिवार्य समझे तो उप-नियम(2) के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु एक जाँच प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है।

(सी) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण आरोप के किसी मद की जाँच स्वयं करे अथवा ऐसे आरोप की जाँच करने हेतु एक जाँच प्राधिकरण नियुक्त करे, ये सेवा के किसी सदस्य अथवा किसी विधि व्यवसायी को एक आदेश द्वारा

नियुक्त करेगा जो "प्रस्तोता अधिकारी" कहलाएगा ताकि वह इस निमित्त आरोप की मदों के समर्थन में मुकद्दमा पेश करें।

(6) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण जाँच प्राधिकरण नहीं हो वहाँ ये जाँच प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा -

(i) आरोप की मदों तथा दुर्व्यवहार एवं कदाचार के अभ्यारोपण के विवरण की प्रति

(ii) यदि सेवा के सदस्य द्वारा बचाव का लिखित विवरण प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी एक प्रति

(iii) गवाहों के बयान की प्रति, यदि कोई, उप-नियम(3) में निर्देशित हो

(iv) सेवा के सदस्य को उप-नियम(3) में निर्देशित दस्तावेजों के परिदान किए जाने को सिद्ध करने वाला साक्ष्य

(v) "प्रस्तोता अधिकारी" को नियुक्त करने वाले आदेश की एक प्रति

(7) जाँच प्राधिकरण से आरोप की मदों तथा दुर्श्यव्यवहार अथवा कदाचार के अभ्यारोपण के विवरण की प्राप्ति की तिथि से दस कार्य-दिवस के अंतर्गत सेवा का सदस्य स्वयं ऐसे समय तथा वैसे दिन जाँच प्राधिकरण के साक्ष्य प्रस्तुत होगा जैसा जाँच प्राधिकरण सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अथवा दस दिनों से कम वैसे अधिक समय के अंतर्गत जिसकी जाँच प्राधिकरण अनुमति दे।

(8) (ए) सेवा का सदस्य अपने निमित्त मुकद्दमा पेश करने हेतु सेवा के किसी अन्य सदस्य की सहायता ले सकता है जो किसी भी कार्यालय में तैनात हो चाहे मुख्यालय में अथवा उस जगह जहाँ जाँच कराई जा रही हो किन्तु इस प्रयोजन हेतु वह किसी विधि व्यवसायी को नहीं लगा सकता जब तक की अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया प्रस्तोता अधिकारी विधि व्यवसायी नहीं हो, अथवा, मुकद्दमा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकरण ऐसी अनुमति प्रदान करे।

परन्तु सेवा का सदस्य सेवा के किसी वैसे अन्य सदस्य की सहायता उसी समय ले सकता है जो किसी अन्य स्थान पर तैनात हो जब जाँच प्राधिकरण मुकद्दमा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उन कारणों को जिनके हेतु ऐसा समझे लिखित रूप से अभिलेख करते हुए इसकी अनुमति प्रदान करे।

टिप्पण :-

सेवा का सदस्य सेवा के किसी वैसे अन्य सदस्य की सहायता नहीं लेगा जिसके पास तीन चल रहे अनुशासनिक मुकद्दमे हों जिनमें उसे सहायता प्रदान करनी हो।

(बी) सेवा का सदस्य सेवा के किसी सेवानिवृत्त सदस्य की सहायता भी अपने निमित्त मुकद्दमा पेश करने के लिए ले सकता है वैसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गये हों।

(9) यदि सेवा का वह सदस्य जिसने अपने बचाव के लिखित विवरण में आरोप के किसी मद को स्वीकृत नहीं किया हो अथवा बचाव का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत न किया हो, जाँच प्राधिकरण के समक्ष पेश हो रहा हो तो ऐसा प्राधिकरण उस से पूछेगा की क्या वह दोषी है तथा यदि वह आरोप की मदों में से किसी में स्वयं को दोषी मानता है, जाँच प्राधिकरण इस अभिवचन को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर सेवा के सदस्य का हस्ताक्षर कराएगा।

(10) जाँच प्राधिकरण आरोप के उन मदों के संबंध में दोष का निष्कर्ष वापस करेगा जिनमें सेवा का सदस्य स्वयं को दोषी मानता हो।

(11) यदि सेवा का सदस्य विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत पेश नहीं होता अथवा इनकार करता है अथवा अभिवचन करने में चूकता है तो जाँच प्राधिकरण प्रस्तौता अधिकारी से अपेक्षा करेगा की वह उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करे जिनके द्वारा वह आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित किया हो, तथा मुकद्दमे को किसी बाद की तिथि तक जो तीस दिनों से अधिक नहीं हो

स्थगित करेगा, एक आदेश को अभिलिखित करने के पश्चात कि सेवा का सदस्य अपने बचाव की तैयारी के प्रयोजन हेतु :-

- (i) उप-नियम(3) में निर्देशित सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण आदेश के पाँच दिनों के अंतर्गत करे अथवा किसी उस समय तक जो पाँच दिनों से अधिक नहीं हो जिसे जाँच प्राधिकरण अनुमत्य करे।
- (ii) उसके निमित्त परीक्षण किए जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत करे।

टिप्पण :-

यदि, सेवा के सदस्य उप-नियम(3) में निर्देशित सूची में उल्लिखित गवाहों के बयान की प्रति के प्रदाय हेतु मौखिक अथवा लिखित आवेदन करे तो जाँच प्राधिकरण अनुशासनिक प्राधिकरण के निमित्त गवाहों के परीक्षण के आरंभ के पूर्व ऐसी प्रतियों को यथासंभव तीन दिनों के भीतर प्रदान करेगा।

- (iii) आदेश के दस दिनों के अंतर्गत एक सूचना देगा या वैसे समय के अंतर्गत जो दस दिनों से अधिक नहीं हो जैसा कि जाँच प्राधिकरण अनुमति दे, किसी वैसे दस्तावेजों की खोज अथवा प्रस्तुति हेतु जो सरकार के कब्जे में हो किन्तु उप-नियम(3) में निर्देशित सूची में उल्लिखित नहीं हो।

टिप्पण :-

सेवा का सदस्य अपने द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों की सुसंगति को उप-दर्शित करेगा जो सरकार से प्रस्तुत अथवा खोज किए जाने हैं।

- (12) दस्तावेजों की खोज अथवा प्रस्तुति हेतु सूचना की प्राप्ति पर जाँच प्राधिकरण इसे अथवा इसकी प्रतियों को उस अधिकारी को अग्रोषित करेगा जिसकी अभिरक्षा अथवा कब्जे में यह दस्तावेज़ हों, दस्तावेजों को उस तिथि तक प्रस्तुत करने की एक अध्यपेक्षा के साथ जो उस अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की गई हो।

परन्तु जाँच प्राधिकरण उन कारणों हेतु जो इसके द्वारा अभिलिखित हों उन दस्तावेजों की अध्यपेक्षा को अग्रहीत कर सकता है जो इसके विचार में मुकद्दमे से सुसंगत नहीं हो।

(13) उप-नियम(12) में निर्देशित अध्यापेक्षा की प्राप्ति पर अध्यापेक्षित दस्तावेज़ों की अभिरक्षा अथवा कब्ज़ा में रखने वाला प्रत्येक अधिकारी जाँच प्राधिकरण के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करेगा।

परन्तु अध्यापेक्षित दस्तावेज़ों की अभिरक्षा अथवा कब्ज़ा में रखने वाला अधिकारी संतुष्ट हो उन कारणों हेतु जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा कि उन सभी अथवा वैसे दस्तावेज़ों में से किसी की प्रस्तुति लोक-हित अथवा राज की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो ये यथा अनुसार जाँच प्राधिकरण को सूचित करेगा और जाँच प्राधिकरण इस प्रकार सूचित किए जाने पर सेवा के सदस्य को इसकी सूचना देगा और अपने द्वारा ऐसे दस्तावेज़ों की खोज अथवा प्रस्तुति हेतु दिए गए अध्यापेक्षा को प्रत्याहृत करेगा।

(14) जाँच हेतु नियत तिथि को अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके निमित्त उन मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा जिनके द्वारा आरोप की मर्दे सिद्ध किया जाना प्रस्तावित हो। प्रस्तोता अधिकारी द्वारा अथवा उसके निमित्त गवाहों का परीक्षण किया जाएगा और वो सेवा के सदस्य द्वारा अथवा उसके निमित्त प्रतिपरीक्षण किए जाएंगे। प्रस्तोता अधिकारी इसका हकदार होगा की वो गवाहों का पुनः परीक्षण उन विषय-बिन्दुओं पर करे जिन पर उनका प्रति-परीक्षण हो चूका है किन्तु जाँच प्राधिकरण की अनुमति के बगैर किसी नए विषय पर नहीं। जाँच प्राधिकरण गवाहों से वैसे प्रश्न भी पूछ सकता है जिन्हें वो उपयुक्त समझें।

(15) अनुशासनिक प्राधिकरण के निमित्त मुकद्दमे की समाप्ति से पूर्व यदि ये आवश्यक प्रतीत हो तो जाँच प्राधिकरण अपने विवेक अनुसार प्रस्तोता अधिकारी को सेवा के सदस्य को दी गयी सूची में साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है अथवा स्वयं नए साक्ष्य के लिए बुला सकता है अथवा किसी गवाह को पुनः बुला सकता है एवं पुनः परीक्षण कर सकता है और ऐसी स्थिति में सेवा का सदस्य इसका हकदार होगा, यदि वो ये मांगे, कि प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तावित अगले साक्ष्य की सूची की प्रति उसे

दिया जाए और ऐसे नए साक्ष्य की प्रस्तुति के पूर्व पूर्ण तीन दिनों तक जाँच को स्थगित कर दिया जाए, स्थगन किए गये दिन तथा जिस दिन जाँच को स्थगित किया गया हो को अनन्य मानते हुए सेवा के सदस्य को जाँच प्राधिकरण ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण का अवसर उन्हें अभिलिखित करने से पूर्व प्रदान करेगा। सेवा के सदस्य को जाँच प्राधिकरण उस नये साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति भी देगा, यदि इसके विचार में वैसे साक्ष्य की प्रस्तुति न्याय के हित में आवश्यक हो।

टिप्पण :-

साक्ष्य में किसी अंतराल को पूर्ण करने हेतु नये साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा मांगी जाएगी अथवा किसी गवाह को पुनः नहीं बुलाया जाएगा। वैसे साक्ष्य को उसी समय लिया जाएगा जब उस साक्ष्य में जिसे मूलतः प्रस्तुत किया गया हो अन्तर्निहित कमी अथवा त्रुटि हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकरण का मुकद्दमा समाप्त हो जाए तो सेवा का सदस्य अपेक्षित किया जाएगा कि वह अपना बचाव मौखिक अथवा लिखित जिसकी वह उपेक्षा करे प्रस्तुत करे। यदि बचाव मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा हो तो यह अभिलिखित किया जाएगा अथवा सेवा का सदस्य अपेक्षित किया जाएगा कि उस पर वह अपना हस्ताक्षर करे। किसी भी दशा में बचाव के बयान की एक प्रति प्रस्तोता अधिकारी को दी जाएगी, यदि कोई नियुक्त किया गया हो।

(17) तब सेवा के सदस्य के निमित्त साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि सेवा का सदस्य ऐसी उपेक्षा करे तो वह स्वयं अपने निमित्त परीक्षण करेगा। सेवा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण तब परीक्षण किये जाएंगे तथा जाँच प्राधिकारण के द्वारा उन उपबन्धों के अध्यधीन जो अनुशासनिक प्राधिकरण के गवाहों पर लागू होंगे प्रति परीक्षण, पुनः परीक्षण एवं परीक्षण के दायी होंगे।

(18) सेवा के सदस्य के अपने मुकद्दमा समाप्त करने के पश्चात जाँच प्राधिकरण यदि अपना परीक्षण नहीं किया हो तो उस से साधारण प्रश्न पूछ

सकता है साक्ष्य में उन परिस्थितियों से संबंधित जो उसके विरुद्ध प्रतीत हो रहे हों सेवा के सदस्य को समर्थ बनाने के प्रयोजन हेतु कि वह साक्ष्य में अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट कर सके।

(19) साक्ष्य की प्रस्तुति के समापन के पश्चात जाँच प्राधिकरण प्रस्तोता अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, तथा सेवा के सदस्य को सुनेगा अथवा उन्हें अपने अपने मुकद्दमा के पक्ष-पत्र के दाखिल करने की अनुमति देगा, यदि वह ऐसी वांछा करें।

(20) यदि सेवा का सदस्य जिसे आरोप के मर्दों की प्रति दे दी गयी हो इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट तिथि को अथवा इससे पूर्व बचाव का लिखित विवरण नहीं पेश करता है अथवा जाँच प्राधिकरण के समक्ष स्वयं नहीं पेश होता है अथवा अन्यथा इस नियम के उपबन्धों के अनुपालन में असफल रहता है अथवा इनकार करता है, तो जाँच प्राधिकरण एकपक्षीय रूप से जाँच करेगी।

(21) (ए) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण ने नियम(26) के खंड(i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने में सक्षम (किन्तु नियम(26) के खंड(v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने में असक्षम) किसी आरोप के मर्दों की जाँच स्वयं किया हो अथवा कराया हो तथा वह प्राधिकरण अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए अथवा उसके अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी जाँच प्राधिकरण के किसी निष्कर्ष पर आधारित अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह विचार करे कि नियम(26) के खंड(v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां सेवा के सदस्य पर अधिरोपित की जाएँ, तो वह प्राधिकरण जाँच के अभिलेख को वैसे अनुशासनिक प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा जो अंत में उल्लिखित शास्तियों को अधिरोपित करने में सक्षम हो।

(बी) जिस अनुशासनिक प्राधिकरण को इस परकार अभिलेख अग्रेषित किए गए हों वह अभिलेख पर ली गयी साक्ष्य के आधार पर कार्य करेगा, अथवा यदि वह इस विचार का हो कि न्याय के हित में किसी साक्षी का फिर

परीक्षण आवश्यक है, तो साक्षी को बुला सकता है और साक्षी का परीक्षण, प्रति-परीक्षण तथा पुनः परीक्षण कर सकता है और इन नियमों के अनुसार जिस शास्ति को उपयुक्त समझे उसे सेवा के सदस्य पर अधिरोपित कर सकता है।

(22) जब भी कोई जाँच प्राधिकरण किसी जाँच में पूर्ण अथवा किसी भाग के सुनने तथा अभिलिखित करने के पश्चात उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना छोड़ दे और उसका उत्तरदायी कोई अन्य जाँच प्राधिकरण बन जाए जिसके पास ऐसी अधिकारिता हो तथा वह इसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार उत्तरदायी होने वाला अपने पूर्वाधिकारी द्वारा ऐसे अभिलिखित अथवा अपने पूर्वाधिकारी द्वारा तथा भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्य करेगा।

परन्तु यदि उत्तरदायी जाँच प्राधिकरण यह विचार करे कि न्याय के हित में किसी भी गवाह का जिसकी साक्ष्य पहले ही अभिलिखित हो गयी हो फिर परीक्षण आवश्यक है तो यह ऐसे गवाह को बुलाकर, परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनःपरीक्षण कर सकता है जैसा कि इससे पूर्व उपबंधित है।

(23) (i) जाँच के समापन के पश्चात, एक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा तथा इसमें अंतर्विष्ट होंगे :

- (ए) आरोप की मद्दें तथा दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के अभ्यारोपण का विवरण;
- (बी) आरोप की हर मद के विषय में सेवा के सदस्य का बचाव;
- (सी) आरोप के हर एक मद के विषय में साक्ष्य का निर्धारण;
- (डी) आरोप के हर एक मद पर निष्कर्ष तथा उस हेतु कारण;

स्पष्टीकरण:

यदि जाँच प्राधिकरण के विचार में जाँच की कार्यवाही आरोप के मूल मदों से भिन्न आरोप का कोई मद स्थापित करे, तो ये आरोप की ऐसी मद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

परन्तु आरोप के ऐसा मद पर निष्कर्ष उस समय तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक की सेवा का सदस्य उन तथ्यों को स्वीकृत करे जिन पर आरोप का मद आधारित है अथवा आरोप के ऐसे मद के विरुद्ध अपने बचाव रखने का एक युक्तियुक्त अवसर पाया हो।

(ii) जाँच प्राधिकरण जहाँ ये स्वयं अनुशासनिक प्राधिकरण नहीं हो, जाँच के अभिलेख को अनुशासनिक प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा जिसमें अंतर्विष्ट होंगे :

- (ए) इसके द्वारा खंड(i) के अधीन तैयार किया गया प्रतिवेदन;
- (बी) बचाव का लिखित विवरण यदि कोई सेवा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो;
- (सी) जाँच की प्रक्रिया में प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य;
- (डी) लिखित पक्षपत्र यदि कोई जाँच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तोता अधिकारी अथवा सेवा के सदस्य अथवा दोनों द्वारा दाखिल किया गया हो;
- (ई) आदेश, यदि कोई अनुशासनिक प्राधिकरण तथा जाँच प्राधिकरण द्वारा जाँच के संबंध में दिए गए हो ।

(30) जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई :

1. अनुशासनिक प्राधिकरण यदि यह स्वयं जाँच प्राधिकरण नहीं हो तो उन कारणों हेतु जिन्हें ये लिखित रूप में अभिलिखित करेगा मुकद्दमे को जाँच प्राधिकरण को आगे की जाँच तथा प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा और उस पर जाँच प्राधिकरण यथासंभव नियम 29 के उपबन्धों के अनुसार उत्तो की जाँच करेगा।

2. अनुशासनिक प्राधिकरण जाँच के प्रतिवेदन की एक प्रति, यदि कोई (जाँच) प्राधिकरण द्वारा की गयी हो अथवा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण जाँच प्राधिकरण नहीं हो तो जाँच प्राधिकरण के प्रतिवेदन की एक एवं अपनी असहमति के साथ, यदि कोई हो, आरोप के किसी मामले पर लें

प्राधिकरण के किसी निष्कर्ष के साथ सेवा के सदस्य को अग्रेषित करेगा जिस से यह अपेक्षा की जाएगी की, यदि वह ऐसी वांछा करे, कि वह अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष पन्द्रह दिनों के अंतर्गत अपना लिखित व्यपदेशन अथवा निवेदन प्रस्तुत करे, सेवा के सदस्य को अनुकूल वह प्रतिवेदन हो या नहीं इस पर विचार किए बिना।

3. उस विषय में आगे की कार्यवाही करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकरण व्यपदेशन पर विचार करेगा, यदि कोई, सेवा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो और अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा जैसा कि उपनियम (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट है।

4. यदि अनुशासनिक प्राधिकरण आरोप के सभी अथवा किसी भद्र पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, इस विचार का है कि सेवा के सदस्य पर नियम(26) के खंड (i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित किया जाए तो नियम(31) में जो भी अंतर्विष्ट हो उसे विचार किए बिना ऐसी शक्ति अधिरोपित करने का आदेश देगा।

परन्तु किसी भी वैसी दशा में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकरण स्वयं नियुक्ति प्राधिकरण नहीं हो और यदि नियुक्ति प्राधिकरण से परामर्श करना आवश्यक हो तो अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति प्राधिकरण को जाँच का अभिलेख अग्रेषित किया जाएगा उसकी सलाह के लिए और सेवा के सदस्य पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के आदेश देने से पूर्व ऐसी सलाह पर विचार किया जाएगा।

5. यदि अनुशासनिक प्राधिकरण आरोप के सभी अथवा किसी भी भद्र पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रख कर अथवा जाँच के दौरान लिए गए साक्ष्य के आधार पर इस विचार का हो की नियम 26 के खंड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सेवा के सदस्य पर अधिरोपित किया जाए तो यह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश देगा और यह आवश्यक नहीं होगा की सेवा के सदस्य को अधिरोपित किए जाने वाले प्रस्तावित शास्ति पर किसी व्यपदेशन देने का अवसर दिया जाए।

परन्तु हर वैसी दशा में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकरण न हो तो अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति प्राधिकरण को जाँच का अभिलेख अग्रेषित किया जाएगा और नियुक्ति प्राधिकरण सेवा के सदस्य पर ऐसी किसी शास्ति को अधिरोपित करने के आदेश देने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकरण के जाँच अभिलेख तथा संस्तुति पर विचार करेगा।

(31) लघु शास्तियां अधिरोपण हेतु प्रक्रिया:-

1. नियम 30 के उपनियम (4) के अध्याधीन सेवा के सदस्य पर नियम 26 के खंड (i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने का आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाए पश्चातः

(ए) सेवा के सदस्य को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव एवं दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के अभ्यारोपन जिसके आधार पर यह प्रस्तावित हो की लिखित सूचना देने तथा उसे उस प्रस्ताव के विरुद्ध जैसा वह चाहे वैसा व्यपदेशन देने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के।

(बी) हर उस दशा में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकरण विचार करे की ऐसी जाँच आवश्यक है, नियम 29 के उपनियम (3) से (23) तक में बताए गए ढंग के अनुसार जाँच करने।

(सी) व्यपदेशन, यदि कोई खंड(ए) के अंतर्गत सेवा के सदस्य द्वारा दिया गया हो एवं जाँच के अभिलेख, यदि कोई खंड(बी) के अंतर्गत अभिलेख किया गया हो को विचार करने।

(डी) दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के हर एक अध्यरोपण पर निष्कर्ष अभिलिखित करने; एवं

(ई) अनुशासनिक प्राधिकरण से जहाँ नियुक्ति प्राधिकरण भिन्न हो तो उस से परामर्श करने, जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो।

2. उपनियम (1) के खंड बी में अंतर्विष्ट जो भी हो उस पर विचार किए बिना सेवा के सदस्य द्वारा, यदि कोई उस उपनियम के खंड (ए) के अंतर्गत

व्यपदेशन दिया गया हो तो उस पर विचार करने के पश्चात्, यदि किसी दशा में वेतन वृद्धि रोकना प्रस्तावित हो और वेतन वृद्धि का ऐसा रोकना सेवा के सदस्य के संदेय पैंशन की रकम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना संभव हो अथवा तीन वर्षों से अधिक कालावधि हेतु वेतन वृद्धि रोकना हो अथवा किसी भी कालावधि हेतु संचीय प्रभाव हेतु वेतन वृद्धि का रोकना हो तो सेवा के सदस्य पर ऐसी किसी शास्ति को अधिरोपित करने के आदेश देने से पूर्ण नियम 29 के उपनियम (3) से (23) तक में दिए गए ढंग के अनुसार जाँच कराई जाएगी।

3. ऐसे मुकद्दमों में कार्यवाही का अभिलेख सम्मिलित होगा :

- (i) सेवा के सदस्य को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव के सूचना की एक प्रति;
- (ii) उसे दी गई दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के अभ्यरोपण की एक प्रति;
- (iii) उसका व्यपदेशन, यदि कोई;
- (iv) जाँच के दौरान प्रस्तुत की गई साक्ष्य ;
- (v) नियुक्ति प्राधिकरण की सलाह, यदि कोई;
- (vi) दुर्व्यवहार अथवा कदाचार के हर एक अभ्यरोपण पर निष्कर्ष; एवं
- (vii) मुकद्दमे पर आदेश, उसके कारणों सहित।

(32) आदेश की संसूचना :

अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश सेवा के सदस्य को संसूचित किए जाएंगे जो आरोप के हर एक मद पर इसके निष्कर्ष की एक प्रति भी दी जायेगी अथवा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकरण नहीं हो अनुशासनिक प्राधिकरण के निष्कर्ष का विवरण इसकी असहमति के संक्षिप्त कारणों के सहित, यदि कोई, नियुक्ति प्राधिकरण के निष्कर्ष के साथ तथा सलाह की एक प्रति भी यदि कोई नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा दी गई हो।

(33) सामान्य कार्यवाही :

1. जहाँ दो अथवा दो से अधिक सेवा के सदस्य किसी मुकद्दमे में संपृक्त हो तो राष्ट्रपति अथवा कोई अन्य अधिकारी जो सेवा के वैसे कुल सदस्यों पर

पदच्युति की शास्ति को अधिरोपित करने में सक्षम हों, एक आदेश देंगे जिसमें यह निर्देश होगा कि उन सभों के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई एक समान कार्यवाही में की जाए।

टिप्पण: यदि सेवा के ऐसे सदस्य पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम अधिकारी भिन्न हों तो एक सामान्य कार्यवाही में अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आदेश ऐसे अधिकारियों का उच्चतम अधिकारी अन्य की सम्मति के साथ देगा।

2. ऐसा कोई आदेश विनिर्दिष्ट करेगा:

- (i) उस अधिकारी को जो ऐसे सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन हेतु अनुशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य करें;
- (ii) नियम 26 में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी अधिरोपित करने में सक्षम हों;
- (iii) नियम 29 एवं नियम 30 अथवा नियम 31 में दी गयी प्रक्रिया कार्यवाही में लागू की जाएगी या नहीं।

(34) अमुक मुकद्दमों में विशेष प्रक्रिया :

नियम 29 से नियम 33 तक जो भी अंतर्विष्ट हो उस पर विचार किये बिना :

- (i) सेवा के सदस्य पर जहाँ आचरण के आधार पर कोई शास्ति अधिरोपित किया जाए जो उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोष सिद्ध करे अथवा,
- (ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण उन कारणों हेतु संतुष्ट हो जिन्हें वह लिखित रूप से अभिलिखित करे कि इन नियमों में दिए गए ढंग से जाँच करना उपयुक्त साध्य नहीं है अथवा,
- (iii) जहाँ राष्ट्रपति संतुष्ट हो की राज्य सुरक्षा के हित में इन नियमों में उपबंधित ढंग के अनुसार जाँच कराना समीचीन नहीं है तो मुकद्दमे

की परिस्थितियों पर अनुशासनिक प्राधिकरण विचार करेगा और उन पर जो उपयुक्त समझे वह आदेश देगा :

परन्तु सेवा के सदस्य को अधिरोपित किए जाने वाले प्रस्तावित शास्ति पर व्यपदेशन देने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा, किसी मुकद्दमे में खंड(i) के अंतर्गत कोई आदेश देने से पूर्व :

परन्तु आगे भी इस नियम के अधीन किसी मुकद्दमे में कोई आदेश देने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकरण से परामर्श किया जाएगा जब ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो।

(35) अपील :

1. सिवाय इसके जहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाए, सेवा के किसी सदस्य पर नियम 27 के अधीन शास्ति अधिरोपण के विनिश्चय की संसूचना के 45 दिनों के अंतर्गत सेवा का सदस्य अपील दाखिल करेगा।

परन्तु उच्च न्यायालय अपने विवेक अनुसार 45 दिनों के अवधि के पश्चात भी किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो की विलंब के कारण सेवा के सदस्य की शक्ति से बाहर थे अथवा वह किसी पर्याप्त कारण से ऐसी अपील दाखिल करने से निवारित हुआ।

2. उपनियम (1) के अधीन अपील को द्विप्रतिक जिला न्यायाधीश को निवेदित किया जाएगा अपील के वैसे हर एक कारण को पृथकः शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति के साथ देते हुए। जिला न्यायाधीश अपील के निवेदन के एक सप्ताह के अंतर्गत उक्त अपील को अपनी टिप्पणियों के साथ एवं जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति, यदि कोई हो, उच्च न्यायालय को अग्रेषित करेगा अथवा करेगी।

3. अपील दाखिल करने वाले सेवा के सदस्य को यह अधिकार नहीं होगा की वह उच्च न्यायालय में स्वयं सुना जाए जबतक की उसे वैसा समन नहीं दिया गया हो।

4. अपील पड़ने के पश्चात्, उच्च न्यायालय अथवा

- (ए) अपीलार्थी को सुने बिना इसे संक्षिप्त: प्रतिक्षेपित करेगा, अथवा
- (बी) जिला न्यायाधीश को प्रतिवेदन हेतु निर्देशित करेगा एवं ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति पर अपीलार्थी को सुने बिना अपील को प्रतिक्षेपित करेगा, अथवा
- (सी) प्रार्थी को सुनेगा अथवा उसे अपील के कारणों के समर्थन में लिखित अतिरिक्त बहस को दाखिल करने की अनुमति देगा, अथवा
- (डी) शास्ति अधिरोपित करने के आदेश को अपारित करेगा, अथवा अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति से अन्य कोई अन्य शास्ति अधिरोपित करेगा अथवा वैसा आदेश पारित करेगा जिसे उचित समझा जाए।

5. अपील पर आदेश को जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को संसूचित किया जाएगा।

(36) आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं होती :

इन नियमों में जो भी अंतर्विष्ट हो उन पर विचार किए बिना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में अपील नहीं होगी:

- (i) अनुशासनिक कार्यवाही का अंतर्वर्ती अथवा अंतिम निपटान के सहायक कदम रूप वाला कोई आदेश, निलंबन के आदेश से अन्य;
- (ii) नियम 29 के अंतर्गत जाँच के दौरान जाँच प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई आदेश।

(37) व्यपदेशन :

1. उस दशा में जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा नियम 27 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित की गई हो अथवा किसी कारण सेवा के सदस्य को सेवोंमुक्त कर दिया गया हो तो वह उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश अथवा ऐसी सेवोंमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में शास्ति अधिरोपण अथवा ऐसी सेवोंमुक्ति के आदेश के साथ जैसी भी दशा हो, ऐसे व्यपदेशन होने के कारणों को बताते

हुए द्विप्रतः व्यपदेशन पूर्णलोकन हेतु आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा शास्ति अधिरोपण के आदेश अथवा नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा सेवोंमुक्ति की संसूचना के 45 दिनों के अंतर्गत दे सकेगा।

2. उपनियम (1) के अंतर्गत व्यपदेशन जिला न्यायाधीश को दिया जाएगा जो उसे उच्च न्यायालय को एक सप्ताह के अंतर्गत अव्येषित करेगा, अपनी टिप्पणियों के साथ, यदि कोई(हों)
 3. सेवा का सदस्य जो व्यपदेशन दे इसका अधिकार नहीं रखेगा की उसे व्यक्तिगत सुना जाए जब तक की उसे ऐसा समन न दिया गया हो।
 4. ऐसे व्यपदेशन का परीक्षण (निम्न) प्रश्नों में सीमित होगा:
 - (ए) क्या सेवोंमुक्ति का आदेश सक्षम पद अधिकारी द्वारा पारित हुआ था?
 - (बी) क्या सेवोंमुक्ति का आदेश उन नियमों अथवा अन्य नियमों अथवा नियमावली जो ऐसे मुकद्दमे में लागू हो के अनुसार था?
5. व्यपदेशन देखने के पश्चात उच्च न्यायालय व्यपदेशन को ग्रहण करेगा अथवा संक्षिप्तः कोई कारण बताए बिना इसे प्रतिक्षेपित करेगा या जो भी उचित समझे ऐसा आदेश देगा।
6. ऐसे व्यपदेशन देने वाले सेवा के सदस्य को व्यपदेशन पर दिए गए आदेश की संसूचना जिला न्यायाधीश के माध्यम से दी जाएगी।

अध्याय-8

विविध

38. अधिवर्षिता आयु :

सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता आयु सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सिविल सेवा सदस्यों के लिए विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु होगी।

39. जनहित में सेवानिवृत्ति :

इन नियमों या अन्य किसी कानून में कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश को, यदि उनके विचार में ऐसा करना जनहित में है, कि सेवा के किसी भी सदस्य को, जिसने पच्चीस वर्षों से कम की सेवा न की हो या पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लिखित में कम से कम तीन महीने का नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर, सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

40. प्रशिक्षण इत्यादि :

- (1) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण, जो उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, लेना होगा।
- (2) सेवा के प्रत्येक सदस्य को ऐसा सामायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (3) सेवा के प्रत्येक सदस्य को ऐसे इक्षितहान या परीक्षाएं जो उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, समय सीमा के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी।

41. संवर्ग / काड़र बदलना :

- (1) सभी ग्रेड के आशुलिपिकों, जिन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, को नियुक्ति प्राप्तिकरण द्वारा अपना संवर्ग समतुल्य लिपिकीय या लिपिकवर्गीय संवर्ग में बदलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- (2) संवर्ग बदलने की एक बार की अनुमति अंतिम होगी।

42. अवशिष्ट प्रावधान :

सेवा सदस्यों की सेवा शर्तों जिनके लिए इन नियमों में कोई व्यक्त प्रावधान नहीं बना है उन पर फिलहाल वह कानून, नियम और आदेश लागू होंगे जो राज्य में समतुल्य श्रेणी पदों पर धारित राज्य सिविल सेवा के सदस्यों पर लागू है।

बशर्ते की उपरोक्त निर्दिष्ट नियमों के अतिरिक्त कोई भी ऐसे नियम जो इन के आरंभ होने से तुरंत पहले सेवा सदस्यों पर लागू थे, वही उन पर लागू रहेंगे।

43. समस्याएँ हटाने की शक्ति :

उच्च न्यायालय के पास इन नियमों के अंतर्गत किसी भी विषय सामग्री पर रिपोर्ट मंगवा सकने की शक्तियाँ होंगी और ऐसे आदेश पारित करने या ऐसे अनुदेश दे सकने की जो किसी समस्या को हटाने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों, जो इन नियमों पर प्रभाव डालने में उत्पन्न हुए हों।

44. छूट देने की शक्ति :

जहाँ जिला न्यायाधीश को संतुष्टि है कि किसी विशिष्ट मामले में किसी नियम की कार्य-विधि अनावश्यक कठिनाई का कारण बन रही है, वह मुख्य न्यायाधीश की पुष्टि के अध्यधीन आदेशों के द्वारा उस नियम को छोड़ सकता है या उस नियम की जरूरतों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन छूट दे सकता है जैसा वह मामले को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझता है बशर्ते कि मामले को इस तरीके से न निपटाया जाए कि वह नियमों के अनुसार अधिकारी या संबंधित कर्मचारियों के लिए कम अनुकूल हो।

45. व्याख्या

यदि इन नियमों की व्याख्या से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठता है, दिल्ली उच्च न्यायालय उसका निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

नोट : यह नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
संगीता ढींगरा सहगल, महानिबंधक

अधिसूची-ए
देखें नियम 3(2)

क्रम सं.	पदों की श्रेणी	समूह	पदों की संख्या			वेतन मान		
			स्थायी	अस्थायी	संस्वीकृत	वेतन बैंड	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	समूह-ए (राजपत्रित)	10	-	10	वेतन बैंड-III	रु 15600/- 39100/-	रु 7600/-
2	उप लेखा नियंत्रक	समूह-ए (राजपत्रित)	1	-	1	वेतन बैंड-III	रु 15600/- 39100/-	रु 6600/-
3	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)	समूह-ए (राजपत्रित)	50	-	50	वेतन बैंड-III	रु 15600/- 39100/-	रु 6600/-
4	प्रणाली विशलेषक समूह-I कार्यपालक	समूह-ए (राजपत्रित)	1	-	1	वेतन बैंड-III	रु 15600/- 39100/-	रु 6600/-
5	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	समूह-ए (राजपत्रित)	1	-	1	वेतन बैंड-III	रु 15600/- 39100/-	रु 5400/-

6	वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष समूह-ए	समूह-बी (राजपत्रित)	1	-	1	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 5400/-
7	प्रोग्रामर समूह-II कार्यपालक	समूह-बी (राजपत्रित)	7	-	7	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 5400/-
8	लेखा अधिकारी	समूह-बी (राजपत्रित)	2	-	2	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 5400/-
9	सहायक लेखा अधिकारी	समूह-बी (राजपत्रित)	4	-	4	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4800/-
10	तकनीकी अधिकारी	समूह-बी (राजपत्रित)	1	-	1	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4600/-
11	सूचना अधिकारी- सह- पुस्तकालय अध्यक्ष	समूह-बी (अराजपत्रित)	6	-	6	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4600/-
12	जन संपर्क अधिकारी	समूह-बी (अराजपत्रित)	6	-	6	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4600/-

13	वरिष्ठ न्यायिक सहायक	समूह-बी (अराजपत्रित)	235+ 208	22	257	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4600/-
14	वरिष्ठ निजी सहायक	समूह-बी (अराजपत्रित)	230+ 28	-	230	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4600/-
15	सिविल नाज़िर/ जिला नाज़िर	समूह-बी (अराजपत्रित)	79	-	79	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4600/-
16	सहायक प्रोग्रामर	समूह-बी (अराजपत्रित)	8	-	8	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4200/-
17	सहायक जन संपर्क अधिकारी	समूह-बी (अराजपत्रित)	6	-	6	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4200/-
18	निजी सहायक	समूह-बी (अराजपत्रित)	256+ 676	- + 22	256+ 698	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4200/-
19	न्यायिक सहायक	समूह-बी (अराजपत्रित)	534	-	534	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4200/-
20	पुस्तकालय अध्यक्ष	समूह-बी (अराजपत्रित)	6	-	6	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4200/-

21	चालक/ स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	समूह-बी	5	-	5	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4200/-
22	नायब नाजिर	समूह-सी	94	-	94	वेतन बैंड-II	रु 9300- 34800/-	रु 4200/-
23	कनिष्ठ न्यायिक सहायक	समूह-सी	2268	22	2290	वेतन बैंड-I	रु 5200- 20200/-	रु 2800/-
24	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी	समूह-सी	5	-	5	वेतन बैंड-I	रु 5200- 20200/-	रु 2800/-
25	चालक/ स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I)	समूह-सी	35	-	35	वेतन बैंड-I	रु 5200- 20200/-	रु 2800/-
26	गेस्टेनर प्रचालक/ डिस्पेच राईडर	समूह-सी	1+1	-	1+1	वेतन बैंड-I	रु 5200- 20200/-	रु 2800/-
27	बेलिफ	समूह-सी	51	-	51	वेतन बैंड-I	रु 5200- 20200/-	रु 2800/-

28	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए	समूह-सी	5	-	5	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2400/-
29	चालक/ स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)	समूह-सी	30+ 24	- 7	30+31	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2400/-
30	प्रोसेस सर्वर	समूह-सी	447	-	447	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2400/-
31	प्रधान जमादार/ दफ्तरी	समूह-सी	1+5	-	1+5	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2400/-
32	जिल्दसाज	समूह-सी	5	-	5	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2400/-
33	चपरासी/ अर्दली/ डाक चपरासी	समूह-सी	1086	22	1108	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2000/-
34	चौकीदार	समूह-सी	230	-	230	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2000/-
35	माली	समूह-सी	1	-	1	वेतन बैंड-I	₹ 5200/- 20200/-	₹ 2000/-

36	फराश/ फराश-सह- डाक-संदेश वाहक	समूह-सी	89	-	89	वेतन बैंड-।	रु 5200- 20200/-	रु 2000/-
37	सफाईकर्मी/ सफाई कर्मचारी	समूह-सी	141	-	141	वेतन बैंड-।	रु 5200- 20200/-	रु 2000-

अनुसंधानी-बीग्रुप-ए

क्रम संख्या	पद का नाम	भर्ती की पद्धति		अर्हता इत्यादि	नियुक्ति प्राधिकरण
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) पी.बी- ॥।- 15600-39100 + 7600/-	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर चयन		स्नातक	उच्च न्यायालय
2.	उप-लेखा नियंत्रक (राजपत्रित) पी.बी- ॥।- 15600-39100 + 6600/-	i) वरिष्ठ लेखा अधिकारियों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन करके भरा जाएगा ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा- पद के लिए पदोन्नति के द्वारा कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने पर इसे प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा।	पदोन्नति : वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में उन्नतम चार वर्ष की सेवा	उच्च न्यायालय	

- नोट: यदि, दिल्ली प्रशासनिक लेखा सेवा
(ग्रेड-I) नियमों 1983 की 20.04.1983 की
अधिसूचना से पहले दिल्ली प्रशासनिक
लेखा सेवा के ग्रेड-I या उच्चतम पद में
सेवा थी हो तो उसको भी उपरोक्त चार वर्ष
की अंहकारी सेवा की संवाधना के लिए
शिला की जाएगी।
- (ii) किसी भी संगठित लेखा सेवा के
अधिकारी(याँ), वेतन बैंड-II में रु 5400/-
के ग्रेड वेतन में, पद धारित किया हुआ
हो।
- (iii) किसी भी संगठित केन्द्रीय लेखा
विभाग के लेखा परीक्षा/ लेखा
अधिकारी(याँ), वेतन बैंड-II में रु 5400/-
के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की सेवा सहित।

<p>3. प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक (पदोन्नति/ चयनित पद) राजपत्रित पी.बी- III- 15600-39100+ 6600/-</p>	<p>(ए) रिक्त पदों का 25% वरिष्ठ न्यायिक सहायकों और वरिष्ठ निजी सहायकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची से वरिष्ठता-सह-योव्यता के आधार पर 1:1 के अनुपात में तैसे 1 कर्मचारी वरिष्ठ न्यायिक सहायकों में से और 1 वरिष्ठ निजी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा और वह नियुक्ति इस तरह से की जाएगी की पदों का अनुपात क्रमशः वरिष्ठ न्यायिक सहायकों और वरिष्ठ निजी सहायकों में बंटेगा, बशर्ते की पहला पद वरिष्ठ न्यायिक सहायक को जाएगा।</p> <p>(बी) 75% रिक्त पदों का योव्यता के आधार पर यथन वरिष्ठ न्यायिक सहायकों और वरिष्ठ निजी सहायकों में हुई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा।</p> <p>(सी) यदि, उपरोक्त खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार योव्यता के आधार पर अपेक्षित संख्या में अधिक चयनित नहीं होते, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी अर्ती दराएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की स्थापना में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ प्रोग्रामर के पदों में से पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति लघु-</p>	<p>(ए) वरिष्ठ न्यायिक सहायकों और वरिष्ठ निजी सहायकों के पदों में से कोई भी स्नातक जिसकी पांच वर्ष की सेवा हो गई हो (विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी)।</p> <p>(बी) वरिष्ठ न्यायिक सहायकों और वरिष्ठ निजी सहायकों के पदों में से कोई भी स्नातक जिसकी पांच वर्ष की सेवा हो गई हो (विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी)।</p> <p>(सी) सीधी अर्ती के लिए : ₹ 4600/- ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा के साथ विधि स्नातक</p>	<p>1)(i) किसी मान्यता प्राप्त विशिष्यात्मय अथवा समतुल्य से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि/ जिला न्यायाधीश</p>
<p>4. प्रणाली विशेषक ग्रुप-I (कार्यपालक) (राजपत्रित)</p>	<p>प्रणाली विशेषक ग्रुप-I (कार्यपालक) (राजपत्रित)</p>	<p>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की स्थापना में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ प्रोग्रामर के पदों में से</p>	<p>जिला एवं सत्र न्यायाधीश</p>

<p>पो.बी- III- 15600-39100+</p> <p>अवधि अनुबंध (सम्बलित करते हुए), दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>6600/-</p>	<p>स्नातकोत्तर उपाधि या प्रौद्योगिकी निष्पात (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता के साथ) या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर तकनीकी में इंजीनियरी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक</p> <p>(ii)इलेक्ट्रॉनिकी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में पाँच वर्षों का अनुभव जिसमें से दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकारी/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मान्यता प्राप्त अनुशासन संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्वायत निकायों के अधीनस्थ</p> <p>(ए) (i) नियमित आधार पर, अनुरूप पद धारित</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) ₹ 8000-13500 के बेतन मान(नया समतुल्य मान उल्लेखित करें) में पाँच वर्षों की नियमित सेवा या समतुल्य पद</p> <p>अथवा</p>	<p>स्नातकोत्तर उपाधि या प्रौद्योगिकी निष्पात (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता के साथ) या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर तकनीकी में इंजीनियरी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक</p> <p>(ii)इलेक्ट्रॉनिकी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में पाँच वर्षों का अनुभव जिसमें से दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।</p>	<p>अथवा</p> <p>2. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या समतुल्य से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में उपाधि</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिकी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में सात वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।</p> <p>अथवा</p>
--	---	---	---	--

		<p>3.(i) मान्यता प्राप्त विद्यविद्यालय या समतुल्य से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से इंजीनियरिंग में उपाधि</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिकी डाटा प्रोसेसिंग कार्ड में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें चार वर्ष का द्व्यन्तरम अनुभव वारस्ताविक प्रोग्रामिंग में हो।</p> <p>अथवा</p> <p>4.(i) DOEACC कार्यक्रम के अंतर्गत 'ए' लेवल डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कम्प्यूटर अनुप्रयोग में दिया जाने वाला स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य परिषद की तकनीकी शिक्षा या समतुल्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोलीटेक्निक के बाद किया जाने वाला डिप्लोमा</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिकी डाटा प्रोसेसिंग में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम चार</p>
(iii) रु 6500-200-10500 के वेतनमान(नया समतुल्य मान उल्लेखित करें) में आठ वर्ष की नियमित सेवा या समतुल्य और	(बी) कॉलम(4) के अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अहंताएँ होने पर।	

	<p>वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।</p> <p>आय सीमा: 40 वर्ष से अधिक नहीं</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए पाँच वर्ष तक की छूट)</p> <p>नोट: (1) आयु सीमा को निर्धारित करने के लिए उस वर्ष की 1 जनवरी लिण्ठक्यक तिथि होनी जिस वर्ष में अर्ती की प्रक्रिया आरंभ होगी।</p> <p>(2) उन्नीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में, जिला न्यायाधीश, दिल्ली के विवेक पर अईता एवं अनुभव में छूट मिल सकती है।</p>	<p>जिला न्यायाधीश</p>
5.	<p>वरिष्ठ लेखा अधिकारियों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति/चयन द्वारा</p> <p>पी.डी.-III-15600-</p> <p>39100+5400</p>	<p>लेखा अधिकारी के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा</p>

क्रमांक	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	समूह-बी		नियुक्ति प्राप्तिकारी
			(1)	(2)	
6.	विषय प्रस्तकालय अध्यक्ष गेंड ए (राजपत्रित)	सूचना अधिकारी-सह-प्रस्तकालय अध्यक्ष में से पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति परंतु यदि कोई उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता तब लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती, जैसा नियुक्ति प्राप्तिकारी के द्वारा उचित समझा जाए।	(i) पदोन्नति : सूचना अधिकारी-सह-प्रस्तकालय अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की सेवा; (ii) सीधी भर्ती : प्रस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 अंक मान में गेंड बी के समतुल्य के साथ एकलप उत्तम शैक्षणिक रिकॉर्ड।	(i) पदोन्नति : न्यायाधीश जिला	
7.	प्रोग्राम समूह-II (कार्यपालक) (राजपत्रित)	जिला और सत्र-न्यायाधीश, दिल्ली की स्थापना में लांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक प्रोग्रामर के पदों में से पदोन्नति द्वारा, जिसके न पी ली. -II-9300-	1. (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि/(कम्प्यूटर अनुप्रयोग में होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (न्यू-अवधि अनुबंध समेत), विशेषज्ञता के साथ) स्नातकोत्तर उपाधि द्वारा	1. (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि/(कम्प्यूटर अनुप्रयोग में होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (न्यू-अवधि अनुबंध समेत), विशेषज्ञता के साथ) स्नातकोत्तर उपाधि द्वारा	

<p>34800 + 5400/- दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा </p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>वैज्ञानीय/राजनीतिक विभाग में सम्बद्ध अधिकारी</p> <p>(ए)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारित किए हुए अथवा</p> <p>(ii) ₹ 7500-12000 के बेतन मान में(नया समतुल्य मान उल्लेखित करें) दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ या मूल संवर्ग/विभाग में मूल पद में समतुल्य पद</p> <p>(iii) ₹ 6500-200-10500 के बेतनमान (नया समतुल्य मान उल्लेखित करें) में पाँच वर्षों की नियमित सेवा या मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य और</p>	<p>दोनोंविभागोंको निष्पात या कम्प्यूटर इंजीनियरी/इंजीनियरिंग में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर तकनीकी इंजीनियरी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा में चार वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग के अनुभव के साथ अथवा</p> <p>2.(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक अधिकारा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो। अथवा</p> <p>3.(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त</p>
---	--

<p>(बी) खड़(4) के अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अहंतारं होने पर।</p> <p>सीधी भर्ती</p> <p>कोई योग्य उम्मीदवार पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उपलब्ध न होने की स्थिति में, पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।</p>	<p>विशिष्यालय या समतुल्य से इंजीनियरिंग में स्नातक</p> <p>(i) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में छ: वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।</p> <p>अथवा</p> <p>4.(i) DOEACC कार्यक्रम के अंतर्गत 'ए' लेवल डिप्लोमा अर्थवा विशिष्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कम्प्यूटर अनुप्रयोग में दिया जाने वाला स्नातकोत्तर डिप्लोमा राज्य परिषद की तकनीकी शिक्षा या समतुल्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोलिटेक्निक के छात्र किया जाने वाला डिप्लोमा</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में छ: वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम चार वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो।</p> <p><u>आयु सीमा:</u> 35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय</p>
---	---

सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए पाँच वर्ष तक की छूट)	नोट: (1) आयु सीमा को निर्धारित करने के लिए उस वर्ष की 1 जनवरी निर्णायक तिथि होगी जिस वर्ष में भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होगी। (2) उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में जिला न्यायाधीश, दिल्ली के विवेक पर अहंता एवं अनुभव में छूट मिल सकती है।	जिला न्यायाधीश	
लेखा अधिकारी (राजपत्रित) पी.बी.-II-9300- 34800 + 5400/-	महायक लेखा अधिकारियों में से वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा	जिला न्यायाधीश
सहायक लेखा अधिकारी (राजपत्रित) पी.बी.-II-9300- 34800+4800/-	जिला और सत्र न्यायाधीश दिल्ली, की स्थापना में अद्वितीय लेखा अधिकारी (राजपत्रित) ग्रुप 'बी' अथवा 'सी' के कर्मचारियों में से, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन द्वारा, जिनके पास अपेक्षित अहंता और अनुभव हो	अहंता: जिला न्यायाधीश की स्थापना में पाँच वर्ष की सेवा सहित पदधारी, जो अधीनस्थ लेखा सेवा आगे। और II में डिप्लोमा के साथ बी.कॉम स्नातक और बजट और केश में पर्याप्त जान	जिला न्यायाधीश

<p>तकनीकी अधिकारी (राजपत्रित)</p> <p>पं.बी.-॥-9300- 34800+4600/-</p>	<p>साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा रखते हैं</p> <p>अनिवार्य अ-</p>	<p>1. मान्यता प्राप्त विशिष्यालय/बोर्ड या समतुल्य से यांत्रिकी/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक।</p> <p>2. किसी भी प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कार्यशाला में दो वर्ष का ट्यूवहारिक अनुभव</p>	<p>नोट: 1. उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विवेक पर अहताओं में छूट मिल सकती है।</p> <p>नोट: 2. अनुचित जाति/जनजाति के अन्यथियों की स्थिति में अनुभव से संबंधित अहताओं में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विवेक पर, यदि उसके विचार में रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदार्यों से अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त अनुयायी उपलब्ध न होने की संभावना है, छूट दी जा सकती है।</p>
---	---	---	---

		सीधी भर्ती के लिए आयु ३० वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारी के लिए छूट)
11	सूचना अधिकारी - सह-प्रस्तकालय अध्यक्ष (आराजपत्रित) पी.बी.-॥	प्रस्तकालय अध्यक्ष में से वरिष्ठता-सह-योवयता के प्रस्तकालय अध्यक्ष के तोर पर न्यूनतम् ५. वर्ष जिला न्यायाधीश आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति
12	जन संपर्क अधिकारी (आराजपत्रित) पी.बी.-॥	सहायक जन संपर्क अधिकारी के पद से वरिष्ठता-सह-योवयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा सहायक जन संपर्क अधिकारी के रूप में न्यूनतम् ६ वर्ष की सेवा

13	वरिष्ठ सहायक चयन पद)	न्यायिक (पदोन्नति/ सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा (अराजपत्रित)	(ए)50% रिक्त पद न्यायिक सहायकों में से वरिष्ठता- सहायकों के आधार पर पदोन्नति द्वारा (अराजपत्रित)	(ए)इस न्यायालय के सदस्यों के लिए: न्यायिक सहायकों के पद पर 8 वर्ष की सेवा सहित ग्र- स्नातक तथा 5 वर्ष की सेवा सहित स्नातक
14	वरिष्ठ सहायक चयन पद)	न्यायिक (पदोन्नति/ सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा (अराजपत्रित)	पी.बी.-॥ 9300- 34800 + 4600/-	(बी)50% रिक्त पद न्यायिक सहायकों में से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर वरीयता द्वारा चयन, जिसके असफल रहने पर (सी)लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ^{(सी)सीधी भर्ती हेतु : स्नातक सीधी भर्ती द्वारा}
14	वरिष्ठ सहायक चयन पद)	निजी (ए)50%रिक्त पद निजी सहायकों में से वरिष्ठता-सह- उपयुक्तता द्वारा आशुलिपि शुतलेख के कंप्यूटर/ टाइपराइटर पर लिखांतरण के आधार पर पदोन्नति द्वारा (बी)-॥ 9300-	(ए) स्थापना के सदस्यों के लिए: निजी सहायक के लिए 3 वर्ष की सेवा (बी) 50% रिक्त पद लिखित परीक्षा जिसमें एक (बी) सीधी भर्ती के लिए: आशुलिपि में न्यूनतम्	

	परीक्षा अंग्रेजी भाषा (निबध्द, व्याकरण और अनुवाद) 34800 +4600/-	परीक्षा अंग्रेजी भाषा (निबध्द, व्याकरण और अनुवाद) जिसके बाद आशुलिपि शुलेख कंप्यूटर/इप्राइटर पर लिप्यांतरण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा लघुसूचित(शार्ट लिस्टिङ) अक्षयर्थी को मौखिक परीक्षा भी देनी होगी।	110 शब्द प्रति मिनट तथा टक्का में 40 शब्द।
15	सिविल नाजिर/जिला नाजिर	नायब नाजिरों में से वरिष्ठता -सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा (अराजपत्रित)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिल्ली की स्थापना में जिला नायब नाजिर के रूप में 5 वर्ष की न्यूनतम न्यायाधीश सेवा
	पी.बी.-॥	9300-	
	34800+ 4600/-		
16	सहायक प्रोग्रामर	सीधी भर्ती द्वारा। (अराजपत्रित)	1) किसी मान्यता प्राप्त विशेषियालय अथवा समतुल्य से कंप्यूटर अनुप्रयोग/कंप्यूटर विज्ञान न्यायाधीश में सनातकोत्तर उपाधि/सनातकोत्तर उपाधि या प्रौद्योगिकी निष्णात (कंप्यूटर अनुप्रयोग विशेषज्ञता के साथ) या कंप्यूटर
	पी.बी -॥ 9300 - 34800+4200/-	- या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों ने के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए उत्पन्न हई प्रक्रियां कॉलेज सं. (4) के अंतर्गत सीधी भर्ती	

		हेतु निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता रखने वाले मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर धारित केंद्रीय सरकार/राज्यीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती है।	कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर तकनीकी में इंजीनियरी स्नातक/प्रोयोगिकी स्नातक
		2)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या समतुल्य से कंप्यूटर अनुप्रयोग/कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युटिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री	अथवा
		(ii) वास्तविक प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में 2 वर्ष का अनुभव।	अथवा
		3)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या समतुल्य से इंजीनियरिंग डिग्री	

(ii)वास्तविक प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में 3 वर्ष का अनुभव।	अध्यवा	4)(i) DOEACC कार्यक्रम के अंतर्गत 'ए' लेवल डिप्लोमा अध्यवा विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर अनुप्रयोग में दिया जाने वाला स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य परिषद की तकनीकी शिक्षा या समतुल्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला कंप्यूटर अनुप्रयोग में पॉलिटेक्निक के बाद किया जाने वाला डिप्लोमा।
(ii)वास्तविक प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में 3 वर्ष का अनुभव।	आयु सीमा: 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी	

		<p>कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक छूट)</p> <p>नोट: (1)आयु सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तिथि उस वर्ष की 1 जनवरी होती जिस वर्ष नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ होती है।</p> <p>(2) योवयता तथा अनुभव में जिला न्यायाधीश, दिल्ली के विवेक के आधार पर छूट दी जा सकती है यदि अव्यर्थ अन्यथा अधिक योग्य हो।</p>	
17	सहायक जन संपर्क अधिकारी	<p>ए)युपसी पदधारियों में से योवयता द्वारा चयन (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर)</p> <p>(अराजपत्रित)</p> <p>पी.बी.-॥</p> <p>9300-</p> <p>34800+4200/-</p>	<p>(ए)युपसी पदधारी जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना में 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं ।</p> <p>(बी)कंप्यूटर की अच्छी जानकारी के साथ किसी अपेक्षित संख्या में अव्यर्थ योग्य नहीं होते,तो मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से स्नातक/स्नातक लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधे दिल्ली (पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रखने वालों को वरिचयता दी जाएगी ।</p>

18	निजी सहायक (अराजपत्रित) पी.बी.-II 34800+4200/-	लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर सीधी अर्ती द्वारा 9300-	100 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण और कंप्यूटर की जानकारी के साथ स्नातक	जिला न्यायाधीश
19	न्यायिक सहायक(पदोन्नति पद (अराजपत्रित) पी.बी.-II 34800 +4200/-	कनिष्ठ न्यायिक सहायकों में से केवल वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा पी.बी.-II 9300-	इस न्यायालय के सदस्यों के लिए : कनिष्ठ न्यायिक सहायकों में से 5 वर्ष की सेवा के साथ स्नातक तथा 10 वर्ष की सेवा के साथ ग्र-स्नातक।	जिला न्यायाधीश
20	पुस्तकालयाध्यक्ष (अराजपत्रित) पी.बी.-II 9300 - 34800 +4200/-	खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती	अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री। आयु सीमा: 27 वर्ष से कम(नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए हूट तथा आरक्षण)	जिला न्यायाधीश
21	चालक/स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	चालक/स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I)की श्रेणी से	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की स्थापना में चालक/स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) के संबर्ग में तीन	जिला

				न्यायाधीश
पी.बी.-II 34800+4200/-	9300- (ओड-1 संवर्ण के 5%चालक/ स्टाफ कार चालक जिनकी 3 वर्ष की नियमित सेवा हो, को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।)	वर्ष की नियमित सेवा।		
क्रमांक 22	पद का नाम नायब नाजिर पी.बी.-II 34800+4200/-	भर्ती की पद्धति बेलिफ/प्रोसेस सर्वरों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	अर्हता आदि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की स्थापना में बेलिफ के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा के साथ स्नातक	नियुक्ति प्राप्तिकरण जिला न्यायाधीश
23	कनिष्ठ न्यायिक सहायक	(ए)80%पदों पर लिखित परीक्षा एवं (ए)कंप्यूटर पर न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ		जिला न्यायाधीश

पंक्ति - ।

साक्षात्कार के आधार पर सेवी भर्ती द्वारा

स्नातक

5200-20200+2800/-

(बी) 20% रिक्त	पदों	पर	प्रधान (बी)	इस न्यायालय के सदस्यों में मे पदोन्नति द्वारा:
जमादार/दफतरी/जिल्दसाज़/चपरासी/अर्टली				
/इक्सकूट संदेशवाहक/चौकीदार/ कर्मचारी/सफाई/साली/ कर्मचारी कर्मचारी से लिखित परीक्षा	/फ्रांश/फ्रांश-सह-डाक सफाई से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवां पास या समतुल्य		(i) प्रधान जमादार/दफतरी की शेषी ने सफाई से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवां पास या समतुल्य	
तथा साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति द्वारा			(ii) जिल्दसाज़/चपरासी /अर्टली/इक्स कर्मचारी कर्मचारी की शेषी ने संदेशवाहक /चौकीदार/ माली/सफाई से 5 वर्ष की सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवां पास या समतुल्य	

24	डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड बी) पी.बी.-। 5200 20200+2800/-	टक्कण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए ।	जिला न्यायाधीश स्थापना एवं सत्र न्यायाधीश,दिल्ली की स्थापना में डाटा एंट्री ऑपरेटर(ग्रेड-ए) के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा
25	चालक/स्टाफ कार चालक ग्रेड-। पी.बी.-। 5200-20200+2800/-	चालक/स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)की श्रेणी से वरिष्ठता -सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा पी.बी.-। 5200-20200+2800/-	जिला न्यायाधीश स्थापना में चालक/स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) के संबंध में न्यूनतम 6 वर्ष की नियमित सेवा।
26	गेस्टेटनर ऑपरेटर/ राइडर पी.बी.-। 5200-	डिमेच प्रधान जमादार/दफतरी/ 5200-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना में इस न्यायालय के सदस्यों में से जिला न्यायाधीश पदोन्नति द्वारा: ()प्रधान जमादार/दफतरी की श्रेणी में से, भालूता प्राप्त बोई से दसरीं

<p>20200+2800/-</p> <p>कर्मी /सफाई कर्मचारी की श्रेणियों में से पास अथवा समतुल्य वरिष्ठता-सह-योन्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा</p>	<p>(ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना में जिल्डसाज़ /चपरासी /अर्टली/डाक चपरासी/फ्राश/फ्राश-सह-डाकसंदेशवाहक /चौकीदार/माली/सफाई कर्मी /सफाई कर्मचारी की श्रेणियों में 5 वर्ष की सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोई से दसवीं पास या इसके समतुल्य।</p> <p>नोट: (1) ग्रेस्टेनर ऑपरेटर पद के लिए ग्रेस्टेनर मशीन के संचालन में जिम्मता अपेक्षित</p> <p>नोट: (2) डिसपैच राइडर के पद हेतु एल.एम.वी. ड्राइविंग लाइसेंस अपेक्षित हैं। (उन अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो तिपहिया वेन और मोटर</p>
---	---

		साइकिल चला सकते हैं।
27	बेलिफ पी.बी.-I 5200-20200+ 2800/-	प्रोसेस सर्वरों में से वरिष्ठता-सह-योव्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा स्थापना में प्रोसेस सर्वर के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास या समतुल्य
28	डाटा एंट्री अॅपरेटर (बैड-ए) पी. बी.-I 5200-20200+ 2400/-	(ए) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से 12वीं पास या समतुल्य (स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगी) (बी) सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर क्षेत्र में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स ('O' लेवल सर्टिफिकेट को वरीयता दी जायेगी)। (सी) डाटा एंट्री / कंप्यूटर संचालन की जानकारी (अव्ययित्यों को डाटा

29	चालक/स्टाफ कार चालक ग्रेड- कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं पास या समतुल्य/ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक के साथ एल.एम.वी. का वैध इडिविंग लाइसेंस तथा इस क्षेत्र में 2 वर्ष का बेदाग अनुभव।	एटी संयालन में एक वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। जिला न्यायाधीश		
30.	प्रोसेस सर्वर पी.बी. 5200- ॥ पी.बी. 5200- 20200+2400/-	(ए) जिला एवम सत्र न्यायाधीश की (ए) इस न्यायालय के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा: स्थापना में प्रधान जमादार/दफतरी /जिद्दत्साज/चपरासी/अर्द्धली/डाकपियन/ क्राश/फ्राश-सह-डाकसदेशवाहक/चौकीदार/माली/सफाईकर्मी/सफाईकर्मचारी पदधारियों की श्रेणियों में से 50% रिक पद वर्तुनिष्ठ परीक्षा, इडिविंग परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, जिसके असफल	(i) प्रधान जमादार / दफतरी की श्रेणी में से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास या समतुल्य । (ii) जिला एवम सत्र न्यायाधीश की स्थापना में	

रहने पर पदों को प्रत्यक्ष कोटा द्वारा भ्रा जाएगा।	<p>जिल्डसाज़/चपरासी/अर्टली/डाक पियन/फ्राश/फ्राश-सह-संदेशावाहक/ चौकीदार/माली/सफाईकर्मी/सफाई कर्मियारी की श्रेणियों में से एल.एम.वी. के तैयार इंडिविंग लाइसेंस और इंडिविंग में 2 वर्ष के बेदाग अनुभव सहित 5 वर्ष की सेवा का साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसर्वां पास या समतुल्य।</p> <p>(बी) 50% रिक पद वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इंडिविंग परीक्षा और साक्षात्कार के आधार सीधी अर्ती द्वारा।</p>	<p>जिल्डसाज़/चपरासी/अर्टली/डाक पियन/फ्राश/फ्राश-सह-संदेशावाहक/ चौकीदार/माली/सफाईकर्मी/सफाई कर्मियारी की श्रेणियों में से एल.एम.वी. के तैयार इंडिविंग लाइसेंस और इंडिविंग में 2 वर्ष के बेदाग अनुभव सहित 5 वर्ष की सेवा का साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसर्वां पास या समतुल्य।</p> <p>(बी) सीधी अर्ती के त्रिय किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसर्वां पास या समतुल्य/ उच्चतर माध्यमिक सहित एल.एम.वी. के इंडिविंग लाइसेंस और इंडिविंग में 2 वर्ष का बेदाग अनुभव।</p>

31	प्रधान जमादार/दफतरी पी.बी। 5200- 20200+2400/-	जिला एवं सब न्यायाधीश की स्थापना में चपरासी/अर्टली/डाक पियन/फ्राश/फ्राश-सह-संदेशवाहक/चौकीदार/माली/सफाईकर्मी/सफाई-कर्मचारी को श्रेणियों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	स्तम्भ 3 में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक में 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसर्वी पास या समतुल्य (उच्चतर माध्यमिक को प्राथमिकता दी जायेगी)।	जिला न्यायाधीश
32.	त्रिलटसार्ज फी.बी। 5200- 20200+ 2400/-	वस्तुनिष्ठ परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	जिलदस्तारी में जानकारी / अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसर्वी पास या समतुल्य ।	जिला न्यायाधीश
33	चपरासी/अर्टली/डाक पियन पी.बी। 5200-20200+2000/-	वस्तुनिष्ठ परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यतप्राप्त बोर्ड से दसर्वी पास या समतुल्य ।	जिला न्यायाधीश
34	चौकीदार पी.बी। 5200- 20200+2000/-	वस्तुनिष्ठ परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यतप्राप्त बोर्ड से दसर्वी पास या समतुल्य ।	जिला न्यायाधीश
35.	माली	वस्तुनिष्ठ परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यतप्राप्त बोर्ड से दसर्वी पास या समतुल्य ।	जिला न्यायाधीश

	पी.-बी.। 5200-20200+2000/-		
36.	फ्राश//प्रशांत-सह-संदेशवाहक पी.-बी.। 5200-20200+2000/-	वस्तुनिष्ठ परिक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी अर्ती हारा	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसरी पास या समतुल्य ।
37.	सफाई कर्मी/सफाई कर्मचारी पी.-बी.। 5200-20200+2000/-	वस्तुनिष्ठ परिक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी अर्ती हारा	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसरी पास या समतुल्य ।

पूर्व नामावली प्रत्येक बॉक्स के सामने दर्शायी गयी हैं

जिला और सत्र न्यायाधीश कार्यालय : दिल्ली

पदानुक्रम संचित्र

प्रशासनिक अधिकारी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
(न्यायिक)

रु 15600-39100/-

ग्रेड वेतन रु 7600/-

वेतन बैण्ड-3

अधीक्षक

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)

रु 15600-39100/-

ग्रेड वेतन रु 6600/-

वेतन बैण्ड-3

वरिष्ठ सहायक/
रीडर(विलयित
ग्रेड-I + ग्रेड-II)

वरिष्ठ न्यायिक सहायक

रु 9300-34800/-

ग्रेड वेतन रु 4600/-

वेतन बैण्ड-2

वरिष्ठ निजी सहायक

रु 9300-34800/-

ग्रेड वेतन रु 4600/-

वेतन बैण्ड-2

आशुलिपिक
ग्रेड -I

प्रवर श्रेणी लिपिक/एलमद/
रीडर ग्रेड-III

न्यायिक सहायक

रु 9300-34800/-

ग्रेड वेतन रु 4200/-

वेतन बैण्ड-2

निजी सहायक

रु 9300-34800/-

ग्रेड वेतन रु 4200/-

वेतन बैण्ड-2

आशुलिपिक

(विलयित
ग्रेड-III+
ग्रेड-III)

निम्न श्रेणी लिपिक/
सहायक एलमद

कनिष्ठ न्यायिक सहायक

रु 5200-20200/-

ग्रेड वेतन रु 2800/-

वेतन बैण्ड-1

सीधी भर्ती

प्रधान जमादार/दफतरी/

जिल्दसाज

रु 5200-20200/-

ग्रेड वेतन रु 2400/-

वेतन बैण्ड-1

चपरासी/अर्दली/डाक

चपरासी/फराश/फराश-सह-डाक


संदेशवाहक/चौकीदार/माली/


सफाईकर्मी/सफाई कर्मचारी


रु 5200-20200/-


ग्रेड वेतन रु 2000/-

वेतन बैण्ड-1









गेस्टेनर प्रचालक/ डिस्पेच राइडर
 रु 5200-20200/-
 ग्रेड वेतन रु 2800/-
 वेतन बैण्ड-1

प्रधान जमादार/दफतरी/जिल्दसाज
 रु 5200-20200/-
 ग्रेड वेतन रु 2400/-
 वेतन बैण्ड-1

चपरासी/अर्दली/डाक
 चपरासी/फराश/फराश-सह-डाक
 संदेशवाहक/चौकीदार/माली/
 सफाईकर्मी/सफाई कर्मचारी
 रु 5200-20200/-
 ग्रेड वेतन रु 2000/-
 वेतन बैण्ड-1

तकनीकी अधिकारी
 रु 9300-34800/-
 ग्रेड वेतन रु 4600/-
 वेतन बैण्ड-2

तकनीकी अधिकारी का पद चयन पद होगा और सीधी भर्ती(साक्षात्कार द्वारा) भरा जाएगा।

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd December, 2013

No. 948/Rules/DHC—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F27/40/50-NGS dated the 28th October, 1953 and all other powers enabling him in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Central Government and the concurrence of Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely:-

Delhi District Courts Establishment (Appointment & Conditions of Service)

Rules, 2012

CHAPTER - I**PRELIMINARY****1. Short Title and Commencement:-**

- (1) These rules may be called the “Delhi District Courts Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules, 2012”.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these rules, unless the context requires otherwise,-

- (1) *“Appointing Authority”* in respect of-
 - A. Posts of Administrative Officer (Judicial) and above in Group A means the High Court of Delhi; and
 - B. All other posts in Group A and in other Groups means the District Judge
- (2) *“Cadre”* means the strength of posts specified in Schedule A and includes any temporary post sanctioned by the Government of N.C.T. of Delhi that has remained in existence for the last one year;
- (3) *“Chief Justice”* means the Chief Justice of High Court of Delhi;
- (4) *“Disciplinary Authority”* means the Authority competent under these rules to impose on a Member of the Service any of the penalties specified in Rule 26.
- (5) *“District”* means the Districts constituted under Notification No.24/DHC/Gaz./VI.E.2(a)/2008 dated 22.10.2008;
- (6) *“District Judge”* means the District & Sessions Judge (Headquarters), Delhi;

- (7) "*equivalent qualification*" means a qualification notified by the High Court as equivalent to a qualification prescribed in these rules in respect of any category of post;
- (8) "*Government*" means the Government of National Capital Territory of Delhi;
- (9) "*Group*" means the Group of service specified in sub-rule (3) of Rule 3;
- (10) "*High Court*" means the High Court of Delhi;
- (11) "*Member of the Service*" means a person appointed to the service under the provisions of these Rules;
- (12) "*Official Gazette*" means the Delhi Gazette;
- (13) "*Recommendation Committee*" means a Committee constituted by the High Court for the purpose of making recommendations to the High Court of the names of suitable candidates for the post of Administrative Officer (Judicial) and above and shall comprise of:-
- (i) Principal District & Sessions Judge, Delhi; and
 - (ii) Two members of the Delhi Higher Judicial Service having atleast ten years of service.
- Principal District & Sessions Judge, Delhi shall be the Chairman of the Committee.
- (14) "*Recruitment Committee*" -
- In respect of all posts to which direct recruitment is to be made, the District Judge shall constitute a Recruitment Committee comprising:-
- (i) one member of Delhi Higher Judicial Service having atleast ten years of service.
 - (ii) two members of Delhi Higher Judicial Service having atleast five years of service.
- Senior most member of the Committee shall be its Chairman.
- Explanation: It shall be mandatory for a Recruitment Committee constituted for making recruitments for 10 or more vacancies in Group-C posts to have one member of SC/ST community.
- (15) "*Selection Committee*" in respect of:
- (a) Post of Administrative Officer (Judicial) and above means a Committee comprising of such number of Hon'ble Judges of High Court as the Hon'ble Chief Justice may deem appropriate;

(b) All other posts in Group A and other Groups means one or more Committee or Committees constituted by the District Judge comprising of :

- (i) One member of Delhi Higher Judicial Service having at least ten years of service;
- (ii) One member of Delhi Higher Judicial Service having at least five years of service; and
- (iii) Chief Metropolitan Magistrate or Senior Civil Judge or Additional Chief Metropolitan Magistrate or Administrative Civil Judge.

Senior-most member of Delhi Higher Judicial Service shall be the Chairman of the Committee.

Explanation: It shall be mandatory for a Selection Committee constituted qua Group-C post to have one member of SC/ST community.

- (16) "Service" means the Delhi District Court Establishment Service as referred to in sub-rule (1) of Rule 3; and
- (17) "State" means the National Capital Territory of Delhi.

CHAPTER - II

CONSTITUTION OF THE SERVICE

3. Constitution of the Service:-

- (1) On and from the date of commencement of these rules, there shall be constituted a State Civil Service known as the Delhi District Court Establishment Service.
- (2) The Service shall consist of the category of posts or cadres specified in column (2) of Schedule A. The group and number of posts in each of those cadres and their scale of pay shall be as specified in the corresponding entries in column (3) to (9) thereof.
- (3) The posts shall be in Group A (Gazetted) category; Group B (Gazetted and Non-Gazetted) category and Group C (Non-Gazetted) category.
- (4) The persons, who, immediately before the commencement of these rules are holding any of the posts specified in Schedule A to these rules, shall be deemed to have been appointed to the respective Group of the service in accordance with the provisions of these rules.

CHAPTER – III

RECRUITMENT

4. Method of recruitment and qualification etc. -

In respect of each category of posts of the Service specified in column (2) of Schedule B, the method of recruitment and minimum qualification, shall be as specified in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof.

5. Procedure to appoint Principal Private Secretary:-

- (1) It shall be the sole discretion of the District Judge to appoint Principal Private Secretary from amongst the pool of Administrative Officers (Judicial) available.
- (2) He or she shall continue to hold the said post for such period as may be desired by the District Judge.
- (3) Subject to sub-rule 2, his or her appointment shall be co-terminus with the laying of office by the District Judge appointing him or her.

6. Disqualification for appointment:-

- (1) No person shall be eligible for appointment unless he is a citizen of India.
- (2) No man who has more than one wife living and no women who has married a man already having another wife, shall be eligible for appointment.
- (3) No person who attempts to obtain extraneous support by any means for his candidature from officials or non-officials, shall be eligible for appointment.
- (4) No person shall be eligible for appointment if he or she –
 - (a) is or has been a member of, or has associated himself or herself with, any body or association after such body or association is declared as an unlawful body or association; or
 - (b) has participated in or is associated with, any activity or programme
 - (i) aimed at subversion of the Constitution of India;
 - (ii) aimed at organized breach or defiance of law involving violence;
 - (iii) which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or the security of the State; or
 - (iv) which promotes, on grounds of religion, race, language, caste or community, feelings of enmity or hatred between different sections of the people; or

- (c) is dismissed from service under the Government of India or any State Government or any High Court;
- (d) is or has been debarred or disqualified by the Union or any State Public Service Commission or any High Court from appearing for any examination or selection conducted by it; and
- (e) is or has been convicted of an offence involving moral turpitude.

7. Age limit for appointment:-

Unless specified to the contrary in Schedule B to these rules every candidate for appointment by direct recruitment must have attained the age of eighteen years and not attained the age of-

- (a) thirty two years in the case of a person belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
- (b) thirty years in the case of a person belonging to any of the Other Backward Classes;
- (c) thirty seven years in the case of person belonging to Physically Handicapped category;
- (d) forty years in case of Physically Handicapped Other Backward Class;
- (e) forty-two years in case of Physically Handicapped SC/ST candidates;
- (f) twenty seven years in the case of any other category of person, on the last date fixed for the receipt of applications or on such other date as may be specified by the District Judge in the notification inviting applications.

8. Provision for reservation of appointment:-

Posts shall be reserved for the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and others to such extent and in such manner as may be specified by the Government under Article 16 of the Constitution of India.

9. Recruitment Cell:-

The District Judge shall constitute a recruitment cell with adequate staff and headed by an Administrative Officer (Judicial) for the purpose of collecting information continuously as to the vacancies arising upon retirement or promotion or resignation. The cell shall assist the Recruitment Committee and the Selection Committee in the recruitment and selection process as per the guidelines of the Committees.

The Administrative Officer (Judicial) heading the cell shall place before the District Judge, in the month of January every year, a report containing details of the number of direct recruitment vacancies existing and likely to occur during the year in different categories of posts.

10. Direct recruitment:-

- (1) The District Judge shall, after considering the report of the recruitment cell, constitute Recruitment Committee(s) in terms of Rule 2(14) for the purpose of making direct recruitment to the vacancies existing or likely to occur during the year in different categories of posts.
- (2) The Recruitment Committee(s) shall then invite applications by giving adequate publicity indicating the total number of vacancies notified for recruitment and the number of vacancies reserved for different reserved categories.
- (3) Subject to Rules 11 to 14, direct recruitment shall be made, on the basis of the percentage of total marks secured in the qualifying examination as determined under rule 11 and of the marks secured at the interview under rule 12, by the Appointing Authority.

11. Eligibility of candidates for the interview:-

- (1) For the purpose of selection of candidates for interview, the Recruitment Committee shall prepare a list of names of candidates on the basis of the percentage of total marks secured in the qualifying examination in the order of merit. From amongst the candidates whose names are included in such list, as far as may be, such number of candidates as is equal to ten times the number of vacancies notified, selected in the order of merit, shall be eligible for the interview. Provided that if two or more candidates secure equal marks than all such candidates shall be called for interview.

12. Interview:-

- (1) The Recruitment Committee in consultation with the District Judge and depending upon the total number of candidates selected under Rule 11 for interview may constitute such number of Committees as may be considered necessary. In case, where the number of Interview Committee(s) constituted are more than one, the Recruitment Committee shall give such number to the Committees as may be considered appropriate for their identification; for example Interview Committee No.1, Interview

Committee No.II, Interview Committee No.III and so on. The District Judge shall, in consultation with the Chairman(s) of the Committee(s) lay down appropriate criteria for interviewing to assess the suitability of the candidates for appointment to the post applied for by them including intellectual and social traits of personality so as to maintain uniformity of standards in the process of interviewing candidates.

- (2) Where the number of Interview Committee(s) is more than one, the Recruitment Committee shall allocate such number of candidates to them so as to ensure that the interviews of the eligible candidates are completed efficiently in the shortest period of time.
- (3) Interview Committee(s) shall forward the entire list of the candidates interviewed with marks obtained by each candidate, in such format as may be desired by the District Judge, as soon as practicable soon after the last interview is concluded, duly signed by all members.

13. List of selected candidates:-

- (1) The Recruitment Committee shall on the basis of aggregate of the percentage of total marks secured in the qualifying examination as determined under rule 11 and of the marks secured at the interview under rule 12 and taking into consideration the orders in force relating to reservation of posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward Classes and others, prepare in the order of merit a list of candidates eligible for appointment to the category of post. If the aggregate of the percentage of total marks secured in the qualifying examination as determined under rule 11 and of the marks secured at the interview under rule 12, of two or more candidates are equal, then the order of merit in respect of such candidates shall be fixed on the basis of their age. The person or persons older in age shall be placed higher in the order of merit. The number of names of candidates to be included in such list shall be equal to the number of vacancies notified for recruitment.
- (2) The Recruitment Committee shall in accordance with the provisions of sub-rule (1) also prepare a panel of candidates in the order of merit containing the names of candidates not included in the select list prepared under sub-rule (1) in which the number of candidates to be included shall, as far as possible, be ten percent of the number of vacancies notified.

(3) The lists so prepared under sub-rules (1) and (2) shall be submitted to the District Judge and will be published in such manner as the District Judge may direct.

14. Appointment of candidates:-

(1) Subject to Rule 16, candidates whose names are included in the select list prepared under sub-rule (1) and published under sub-rule (3) of rule 13, may be appointed by the Appointing Authority against the vacancies in the particular cadre in the order in which the names are found in the select list after satisfying itself, after such enquiry as may be considered necessary that each such candidate is suitable in all respects for appointment to a post in the cadre. Candidates, whose names are included in the list prepared under sub-rule (2) and published under sub-rule (3) of rule 13, may be similarly appointed against vacant posts still available after the candidates whose names are included in the list prepared under sub-rule (1) of rule 13 have been appointed.

(2) The inclusion of the name of a candidate, in any of the two lists published under rule 13, shall not confer on him any right of appointment.

15. Duration of operation of the lists:-

The select lists of the candidates published by the Appointing Authority under rule 13 in respect of any cadre shall be valid for a period of 12 months from its publication. However, the life of the select lists may be extended by the Appointing Authority for a further period not exceeding 06 months. Provided the validity of the select lists shall cease to be ordered from the date of publication of a list prepared in respect of such cadre on the basis of the next selection.

The list prepared under sub-rule (2) of Rule 13 shall also be not valid beyond the period of validity of the select list as prepared under rule 13(1).

16. Conditions relating to suitability and certificates of Character:-

No person shall be appointed unless the Appointing Authority is satisfied that he is of good character and is in all respect suitable for appointment to the Service. Every candidate selected for direct recruitment shall furnish to the Appointing Authority certificates given not more than six months prior to the date of his selection, by two respectable persons not related to him. If any doubt arises regarding the suitability of a candidate for appointment the decision of the Appointing Authority shall be final.

17. Fees:-

Every candidate, for direct recruitment to any category of post, may be required to pay such fees, as may be specified by the Appointing Authority in respect of his applications.

Provided that in the case of a candidate belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or a Physically Handicapped category, the fees payable shall be one half of the fee specified under this rule.

18. Joining time for appointment:-

(1) A candidate appointed by direct recruitment shall assume charge of the post specified by the Appointing Authority as soon as possible after the date of the order of appointment, but not later than forty-five days from that date.

Explanation—For the purpose of this sub-rule “the date of the order of appointment” means the date of dispatch of the order of appointment by registered post to the address given by the candidate.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Appointing Authority may, on the application of the candidate and if satisfied that there are good and sufficient reasons for doing so, by order in writing, grant such further time but not exceeding three months as it may deem necessary.

(3) The name of the candidate who fails to assume charge of the post within the time specified in sub-rule (1) or within the further time granted under sub-rule (2) shall stand deleted from the list of selected candidates and the candidate concerned shall cease to be eligible for appointment.

19. Recruitment by Promotion:-

(1) The District Judge will make assessment in the month of January, every year, number of promotion vacancies existing and likely to occur during the year in different category of posts.

(2) The District Judge shall notify the vacancies for the posts of Administrative Officer (Judicial) and above and shall forward the list of all eligible candidates falling in the zone of consideration for appointment to those posts to the Recommendation Committee. The Recommendation Committee, in accordance with the criteria laid down by the High Court prepare a list of suitable candidates for their appointment on promotion to the quota of 25% of the posts of Administrative Officer (Judicial) by way of promotion on the basis of suitability-cum-merit and for remaining 75% of

posts shall conduct a departmental exam followed by an interview. The Committee shall thereafter forward the list of persons so selected along with the list of the persons not found suitable stating the reasons for the same to the High Court.

The list so received shall then be placed before the Selection Committee constituted by the Chief Justice under Rule 2 (15)(a) and the Selection Committee may either accept or reject the recommendations of the Committee or suitably modify the list as it may deem fit. The final list shall then be placed before the Chief Justice for his consideration and who shall thereafter forward it to the Full Court for approval.

- (3) In case of category of candidates to be recruited by the High Court, the High Court shall lay down the criteria to determine the merits of a candidate.
 - (4) The District Judge shall also notify the vacancies for all other posts in Group-A and other Groups and constitute a Selection Committee in accordance with Rule 2(15) (b). However, for the post of Senior Judicial Assistant, the Selection Committee, shall prepare a list of suitable candidates for their appointment on promotion to the quota of 50% by way of promotion on the basis of suitability-cum-merit and for remaining 50% of posts shall conduct a departmental examination followed by an interview. The Committee shall thereafter forward the list of persons so selected along with the list of the persons not found suitable stating the reasons for the same to the District Judge.
 - (5) In case of category of candidates referred to in sub-rule 4, the District Judge shall lay down the criteria to determine the merit of candidates in consultation with the Selection Committee.
- 20. Appointment:-**
- The Selection Committee(s), constituted in accordance with sub-rule (15) of Rule 2, shall forward the list of selected candidates for promotion to the District Judge within two days of concluding the interview of the eligible candidates by the

Selection Committee. The District Judge may make appointment of the candidates so selected after making enquiry as may be considered necessary or pass such orders as may be deemed appropriate.

CHAPTER - IV

PROBATION AND OFFICIATION

21. Probation and Officiation:-

- (1) All appointments to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years.
- (2) All appointments by promotion shall be on officiating basis for a period of two years.
- (3) The period of probation or officiation, as the case may be, for reasons to be recorded in writing, may be extended by the Appointing Authority by such period not exceeding double the normal period of probation or officiating, as the case may be, specified in sub-rules (1) or (2) above.
- (4) At the end of the period of probation or officiation or the extended period of probation or officiation, as the case may be, the Appointing Authority shall consider the suitability of the person so appointed or promoted to hold the post to which he was appointed or promoted, and –
 - (i) if it decides that he is suitable to hold the post to which he was appointed or promoted and has passed the examinations or tests, if any, required to be passed during the period of probation or officiation, as the case may be, it shall, as soon as possible, issue an order declaring him to have satisfactorily completed the period of probation or officiation, as the case may be; and such an order shall have effect from the date of expiry of the period of probation or officiation, including extended period, if any, as the case may be.
 - (ii) if the Appointing Authority considers that the person is not suitable to hold the post to which he was appointed or promoted, as the case may be, he shall, by order –
 - (a) if he is a promotee, revert him to the post which he held prior to his promotion.

(b) if he is a probationer, discharge him from service;

(5) A person shall not be considered to have satisfactorily completed the period of probation or officiation, as the case may be, unless a specific order to that effect is passed. Any delay in passing such an order shall not entitle the person to be deemed to have satisfactorily completed the period of officiation or probation, as the case may be.

22. Discharge of a probationer during the period of probation:-

- (1) Notwithstanding anything contained in rule 21, the Appointing Authority may, at any time during the period of probation, discharge from service, a probationer on account of his unsuitability for the Service.
- (2) An order under sub-rule (1) shall indicate the grounds for the discharge but no disciplinary enquiry shall be necessary.

23. Increment during the period of probation or officiation:-

- (1) A probationer or promotee may draw the increments that fall due during the period of probation or officiation. He shall not, however, draw any increment after the expiry of the period of probation or officiation unless and until he is declared to have satisfactorily completed his probation or officiation, as the case may be.
- (2) When a probationer or promotee is declared to have satisfactorily completed his probation or officiation, as the case may be, he shall draw, as from the date such order takes effect, the pay he would have drawn had he been allowed the increments for the said period unless validity of the appointment of any person
 - (i) As probationer is questioned in any legal proceedings before a court of law, the period of probation of such person shall continue until the final disposal of such proceedings;
 - (ii) As a promotee on officiating basis is questioned in any legal proceedings, before a court of law, the period of officiation of such promote shall continue until the final disposal of such proceedings.

CHAPTER -V**SENIORITY****24. Seniority:-**

- (1) An officer/official appointed in accordance with the rules of recruitment on regular basis shall be senior to persons appointed temporarily or on ad hoc basis.
- (2) Where officers/officials are recruited to a cadre by promotion, departmental examination or direct recruitment and the date of their appointment is same then the officers recruited by promotion shall take precedence over the officers/officials promoted through departmental examination and the directly recruited officers/officials.
- (3) Save as provided in sub-rules (5) to (8), seniority of officers/officials appointed by direct recruitment or promotion shall be determined according to their position in merit.
- (4) Subject to sub-rule (3), if the promotions are made to the post of Administrative Officer (Judicial), by the order in which the names of the candidates are arranged in the select list prepared in accordance with Serial No. 4 of Schedule B.
- (5) For all other posts where more than one officer/official is promoted to a cadre at the same time, the inter-se seniority of persons so promoted shall be determined—
 - (i) If promotions are made from any one cadre by their inter-se seniority in that lower cadre;
 - (ii) If promotions are made from more than one cadre of same grade, by the period of their service in those cadres;
 - (iii) If promotions are made from more than one cadre of different grades, by the order in which the names of candidates are arranged in the select list.
- (6) Where more than one person is recruited by direct recruitment to a cadre, the inter-se seniority of persons so recruited shall be in the order in which their names are arranged in the select list.
- (7) Every year in the month of January, seniority list of officers/officials in all cadres shall be prepared and published by the Appointing Authority and the

lists so published shall be used for the purpose of making promotions to the next higher cadre.

(8) Seniority of a person allowed to change his cadre, as provided in these rules, shall be determined in the changed cadre treating as if he or she is the last person joining the cadre on that day.

CHAPTER - VI

SUSPENSION

25. Suspension:-

(1) The Appointing Authority or any Authority to which it is subordinate or any other authority empowered in that behalf by the High Court, by general or special order, may place a Member of the Service under suspension.

- (a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (b) where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or
- (c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

Provided that, where the order of suspension is made by an authority lower than the Appointing Authority, such Authority shall forthwith report to the Appointing Authority the circumstances in which the order was made.

(2) A Member of the Service shall be deemed to have been placed under suspension by an order of Appointing Authority –

- (a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;
- (b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

EXPLANATION - The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a member of the service under suspension is set aside in appeal or on

review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a member of the service is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of Law and the Disciplinary Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the member of the service shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders:

Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

(5)(a) Subject to the provisions contained in sub-rule (7), an order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where a Member of the service is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Member of the service shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(6) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension, before expiry of ninety days from the effective date of suspension, on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.

(7) An order of suspension made or deemed to have been made under sub-rules (1) or (2) of this rule shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days.

CHAPTER – VII

PENALTIES

26. Penalties:-

One or more of the following penalties for good and sufficient reasons may be imposed on a Member of the Service, namely:

Minor Penalties -

- (i) censure;
- (ii) withholding of his promotion;
- (iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government or High Court by negligence or breach of orders;
- (iii a) reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension.
- (iv) withholding of increments of pay;

Major Penalties -

- (v) save as provided for in clause (iii) (a), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Member of the Service will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vi) reduction to lower time-scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Member of the Service to the time-scale of pay, grade, post or Service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Member of the Service was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, posts or service;
- (vii) compulsory retirement;
- (viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
- (ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

Provided that, in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known source of income or the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (viii) or clause (ix) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.

EXPLANATION - The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely:-

- (i) withholding of increments of a Member of the Service for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the Service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;
- (ii) stoppage of a Member of the Service at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (iii) non-promotion of a Member of the Service, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a Service, grade or post for promotion to which he is eligible;
- (iv) reversion of a Member of the Service officiating in a higher Service, grade or post to a lower Service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher Service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;
- (v) reversion of a Member of the Service, appointed on probation to any other Service, grade or post, to his permanent Service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;
- (vi) replacement of the services of a Member of the Service, whose services had been borrowed from a State Government or any authority under the control of a State Government, at the disposal of the State Government or the authority from which the services of such Member of the Service had been borrowed;
- (vii) compulsory retirement of a Member of the Service in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;

(viii) termination of the services -

- (a) of a Member of the Service appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation, or
- (b) of a temporary Member of the Service in accordance with the provisions of sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, or
- (c) of a Member of the Service, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

27. Disciplinary Authorities:-

- (1) The High Court may impose any of the penalties specified in Rule 26 on any Member of the Service.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) the District Judge may impose any of the penalties specified in Rule 26 on any Member of the Service of which he is the Appointing Authority.
- (3) The District Judge shall also be empowered to impose any of the penalties enumerated in clauses (i) to (iv) of Rule 26 on any Member of the Service of which High Court is the Appointing Authority.

28. Authority to institute proceedings:-

The High Court, by general or special order, may—

- (1) institute disciplinary proceedings against any Member of the Service
- (2) without prejudice to the provisions of sub-rule (1) the High Court may direct a District Judge to institute disciplinary proceedings against any Member of the Service on whom the District Judge is competent to impose under these rules any of the penalties specified in Rule 26.
- (3) A District Judge competent under these rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of Rule 26 may institute disciplinary proceedings against any Member of the Service for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Rule 26 notwithstanding that District Judge is not competent under these rules to impose any of the later penalties.

EXPLANATION—On the conclusion of the inquiry or receipt of the inquiry report if the District Judge comes to the conclusion that a minor penalty will meet requirement of the case it will be well within his competence to impose the minor penalty without seeking the approval of the High Court which is competent to impose a major penalty on the member of the Service concerned.

29. Procedure for imposing major penalties:-

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Rule 26 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and rule 30, or in the manner provided by the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act.

(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Member of the Service, it may itself inquire into, or appoint under this rule or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof.

Provided that where **there** is a complaint of sexual harassment within the meaning of rule 3 C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Complaints Committee established in each Judicial District for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the complaints committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassments, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules.

EXPLANATION - Where the Disciplinary Authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) to the Inquiring Authority shall be construed as a reference to the Disciplinary Authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Member of the Service under this rule and rule 30, the Disciplinary Authority shall draw up or cause to be drawn up-

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain-

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Member of the Service;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The Disciplinary Authority shall deliver or cause to be delivered to the Member of the Service a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the Member of the Service to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5)(a) On receipt of the written statement of defence, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary so to do, appoint, under sub-rule (2), an Inquiring Authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the Member of the Service in his written statement of defence, the Disciplinary Authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 30.

(b) If no written statement of defence is submitted by the Member of the Service, the Disciplinary Authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-rule (2), an Inquiring Authority for the purpose.

(c) Where the Disciplinary Authority itself inquires into any article of charge or appoints an Inquiring Authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a Member of the Service or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The Disciplinary Authority shall, where it is not the Inquiring Authority, forward to the Inquiring Authority-

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of the defence, if any, submitted by the Member of the Service;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3);

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the Member of the Service; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer".

(7) The Member of the Service shall appear in person before the Inquiring Authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by the Inquiring Authority of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the Inquiring Authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the Inquiring Authority may allow.

(8)(a) The Member of the Service may take the assistance of any other Member of the Service posted in any office either at his headquarters or at the place where the inquiry is held, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits;

Provided that the Member of the Service may take the assistance of any other Member of the Service posted at any other station, if the Inquiring Authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing, so permits.

Note: The Member of the Service shall not take the assistance of any other Member of the Service who has three pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The Member of the Service may also take the assistance of a retired Member of the Service to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the President from time to time by general or special order in this behalf.

(9) If the Member of the Service who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the Inquiring Authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the Inquiring Authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Member of the Service thereon.

(10) The Inquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the Member of the Service pleads guilty.

(11) The Inquiring Authority shall, if the Member of the Service fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the Member of the Service may, for the purpose of preparing his defence:

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the Inquiring Authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

NOTE- If the Member of the Service applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the Inquiring Authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the Disciplinary Authority.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

NOTE- The Member of the Service shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Government.

(12) The Inquiring Authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the Inquiring Authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall, on being so informed, communicate the information to the Member of the Service and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or

on behalf of the Disciplinary Authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the Member of the Service. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the Inquiring Authority. The Inquiring Authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the Disciplinary Authority, the Inquiring Authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Member of the Service or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the Member of the Service shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The Inquiring Authority shall give the Member of the Service an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The Inquiring Authority may also allow the Member of the Service to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary, in the interests of justice.

NOTE.- New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the Disciplinary Authority is closed, the Member of the Service shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the Member of the Service shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the Member of the Service shall then be produced. The Member of the Service may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the Member of the Service shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the Inquiring Authority according to the provisions applicable to the witnesses for the Disciplinary Authority.

(18) The Inquiring Authority may, after the Member of the Service closes his case, and shall, if the Member of the Service has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the Member of the Service to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The Inquiring Authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the Member of the Service, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the Member of the Service to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the Inquiring Authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the Inquiring Authority may hold the inquiry ex parte.

(21)(a) Where a Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties specified in clause (i) to (iv) of rule 26 (but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 26), has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any Inquiring Authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 26 should be imposed on the Member of the Service, that authority shall forward the records of the inquiry to such Disciplinary Authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The Disciplinary Authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the Member of the Service such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any Inquiring Authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another Inquiring Authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the Inquiring Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself.

Provided that if the succeeding Inquiring Authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23)(i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain-

- (a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (b) the defence of the Member of the Service in respect of each article of charge;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
- (d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

EXPLANATION- If in the opinion of the Inquiring Authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the Member of the Service has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The Inquiring Authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include:-

- (a) the report prepared by it under clause (i);
- (b) the written statement of defence, if any, submitted by the Member of the Service;
- (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
- (d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the Member of the Service or both during the course of the inquiry; and
- (e) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and the Inquiring Authority in regard to the inquiry.

30. Action on inquiry report:-

(1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the Inquiring Authority for further inquiry and report and the Inquiring Authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of Rule 29, as far as may be.

(2) The Disciplinary Authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the Disciplinary Authority or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a copy of the report of the

Inquiring Authority together with its own tentative reasons for disagreement, if any, with the findings of Inquiring Authority on any article of charge to the Member of the Service who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the Disciplinary Authority within fifteen days, irrespective of whether the report is favourable or not to the Member of the Service.

(3) The Disciplinary Authority shall consider the representation, if any, submitted by the Member of the Service and record its findings before proceeding further in the matter as specified in sub-rules (4) and (5).

(4) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 26 should be imposed on the Member of the Service, it shall, notwithstanding anything contained in rule 31, make an order imposing such penalty:

Provided that in every case where the Disciplinary Authority is not the Appointing Authority and if it is necessary to consult the Appointing Authority, the record of the inquiry shall be forwarded by the Disciplinary Authority to the Appointing Authority for its advice and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the Member of the Service.

(5) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 26 should be imposed on the Member of the Service, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Member of the Service any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed:

Provided that in every case where the Disciplinary Authority is not the Appointing Authority, the record of the inquiry shall be forwarded by the Disciplinary Authority to the Appointing Authority and the Appointing Authority before making an order imposing any such penalty on the Member of the Service shall take into consideration the inquiry report and recommendation of the Disciplinary Authority.

31. Procedure for imposing minor penalties:-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (4) of rule 30, no order imposing on a Member of the Service any of the penalties specified in clause (i) to (iv) of rule 26 shall be made except after-

(a) informing the Member of the Service in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

- (b) holding an inquiry **in the manner laid down** in sub-rules (3) to (23) of rule 29, **in** every case in which the Disciplinary Authority is of the opinion that such inquiry is necessary;
- (c) taking the representation, if any, submitted by the Member of the Service under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration;
- (d) recording a finding on each imputation or misconduct or misbehaviour; and
- (e) consulting the Appointing Authority where it is different from Disciplinary Authority where such consultation is necessary.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Member of the Service under clause (a) of that sub-rule, to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the Member of the Service or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of Rule 29, before making any order imposing on the Member of the Service any such penalty.

(3) The record of the proceedings in such cases shall include-

- (i) a copy of the intimation to the Member of the Service of the proposal to take action against him;
- (ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;
- (iii) his representation, if any;
- (iv) the evidence produced during the inquiry;
- (v) the advice of the Appointing Authority, if any;
- (vi) the findings **on** each imputation of misconduct or misbehaviour; and
- (vii) the orders on the case together with the reasons therefor.

32. Communication of orders:-

Orders made by the Disciplinary Authority shall be communicated to the Member of the Service who shall also be supplied with a copy of its finding on each article

of charge, or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a statement of the findings of the Disciplinary Authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the Inquiring Authority and also a copy of the advice, if any, given by the Appointing Authority.

33. Common proceedings:-

(1) Where two or more Member of the Services are concerned in any case, the President or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Member of the Services may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

NOTE-If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Member of the Services are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Any such order shall specify-

- (i) the authority which may function as the Disciplinary Authority for the purpose of such common proceeding;
- (ii) the penalties specified in rule 26 which such Disciplinary Authority shall be competent to impose;
- (iii) whether the procedure laid down in rule 29 and rule 30 or rule 31 shall be followed in the proceeding.

34. Special procedure in certain cases:-

Notwithstanding anything contained in rule 29 to rule 33-

- (i) where any penalty is imposed on a Member of the Service on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or
- (ii) where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, or
- (iii) where the President is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these rules,

the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit:

Provided that the Member of the Service may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (i):

Provided further that the Appointing Authority shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.

35. Appeal:-

(1) Except where the penalty is imposed by the High Court, a Member of a Service may file an appeal within forty-five days of the communication of the decision of the imposition of penalty on a member of Service under Rule 27.

Provided that the High Court may in its discretion entertain an application after a period of 45 days on being satisfied that the reasons for delay were beyond the control of the member of Service or was prevented from filing such appeal in time for any sufficient cause.

(2) The appeal under sub-rule (1) shall be submitted to the District Judge, in duplicate, giving each grounds of appeal separately accompanied by a copy of the order imposing the penalty. The District Judge shall forward the said appeal to the High Court with his or her comments, alongwith a copy of inquiry report, if any, within one week of the submission of appeal.

(3) A Member of the Service filing an appeal shall have no right to be heard personally at the High Court, unless summoned to do so.

(4) After reading the appeal, the High Court may either

- (a) summarily reject it without hearing the appellant; or
- (b) refer it to the District Judge for report and on receipt of such report, reject the appeal without hearing the appellant; or
- (c) hear the appellant or permit him to file additional arguments in writing, in support of grounds of appeal; or
- (d) set aside the order of imposing the penalty or impose any other penalty other than the penalty imposed by the Disciplinary Authority or pass such order as may be deemed appropriate.

(5) The order on appeal will be communicated to the appellant through District Judge.

36. Orders against which no appeal lies-

Notwithstanding anything contained in these rules no appeal shall lie in order made by the High Court.

- (i) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid of the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;
- (ii) any order passed by an Inquiring Authority in the course of an inquiry under Rule 29.

37. Representation:-

- (1) In a case where the penalty has been imposed by the High Court under Rule 27 or a member of Service has been discharged from service for any reasons, may make a representation against such order of the High Court or such discharge, to the High Court requesting for a review within forty-five days of the communication of order of imposing penalty by High Court or discharge by the Appointing Authority in duplicate with an order of imposing penalty or such discharge, as the case may be, stating the grounds of making such representation.
- (2) The representation under sub-rule (1) shall be made to the District Judge, who shall forward the same to the High Court within one week, with his comments, if any.
- (3) A Member of Service making representation shall have no right to be heard personally, unless summoned to do so.
- (4) The examination of such representation shall remain confined to questions:
 - (a) Whether the order of discharge was passed by the competent authority?
 - (b) Whether the order of discharge was in accordance with these rules or any other rules or regulations applicable in a particular case?
- (5) The High Court after going through the representation, may accept the representation or summarily reject it without giving any reasons or pass such orders as it may consider appropriate.
- (6) The order on representation will be communicated to the member of the Service, presenting such representations, through the District Judge.

CHAPTER - VIII

MISCELLANEOUS

38. Age of Superannuation:-

The age of superannuation of a member of the service shall be age of superannuation specified by the Government from time to time of the Members of State Civil Service.

39. Retirement in public interest:-

Notwithstanding anything contained in these rules or any other law, the High Court or the District Judge may, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any member of the Service who has put in not less than twenty five years of service or has attained the age of 50 years, by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice.

40. Training etc.: -

- (1) Every person appointed by direct recruitment to the Service shall, undergo such training as may, from time to time, be specified by the High Court.
- (2) Every member of the Service shall be given such periodical training as the High Court may, from time to time specify.
- (3) Every member of the Service shall pass such tests or examinations and within such time as the High Court may, from time to time specify.

41. Change of cadre:

- (1) Stenographers of all grades, who have put in such number of years of service as may be specified by the High Court, may be permitted by the Appointing Authority to change their cadre to a cadre of equivalent grade on the clerical or ministerial side.
- (2) Change of cadre once permitted shall be final.

42. Residuary provision:-

The conditions of service of the members of the Service for which no express provision is made in these rules shall be determined by the laws, rules and orders for the time being applicable to members of the State Civil Services in the State, holding equivalent grade posts.

Provided that any rules other than those referred to above applicable to members of the service immediately prior to the commencement of these rules shall continue to apply to them.

43. Power to remove difficulties:-

The High Court shall have the powers to call for the report on any subject matter covered by these rules and pass such orders or give such instructions as appears to be necessary or expedient for the removal of any difficulty, arising in giving effect to these rules.

44. Power to relax:-

Where the District Judge, is satisfied that the operation of any rule causes undue hardship in any particular case, he or she may by order subject to the confirmation by the Chief Justice dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as he or she may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner provided that the case is not dealt with in a manner less favourable to the officer or officials concerned than in accordance with rules.

45. Interpretation:-

If any question as to the interpretation of these rules arises, the High Court of Delhi shall decide the same and its decision shall be final.

NOTE: THESE RULES SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,
SANGITA DHINGRA SEHGAI, Registrar General

Schedule-A
See rule 3(2)

Sl. No.	Category of Posts	Group	No. of posts			Pay Scales		
			Permanent	Temporary	Sanctioned	PB	Pay Band	Grade Pay
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Senior Administrative Officer	Group-A (Gaz.)	10	-	10	PB-III	Rs.15600-39100/-	Rs.7600/-
2	Deputy Controller of Accounts	Group-A (Gaz.)	1	-	1	PB-III	Rs.15600-39100/-	Rs.6600/-
3	Administrative Officer (Judicial)	Group-A (Gaz.)	50	-	50	PB-III	Rs.15600-39100/-	Rs.6600/-
4	System Analyst Group I Executive	Group-A (Gaz.)	1	-	1	PB-III	Rs.15600-39100/-	Rs.6600/-
5	Senior Accounts Officer	Group-A (Gaz.)	1	-	1	PB-III	Rs.15600-39100/-	Rs.5400/-
6	Senior Librarian Grade 'A'	Group-B (Gaz.)	1	-	1	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.5400/-
7	Programmer Group II Executive	Group-B (Gaz.)	7	-	7	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.5400/-
8	Accounts Officer	Group-B (Gaz.)	2	-	2	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.5400/-
9	Assistant Accounts Officer	Group-B (Gaz.)	4	-	4	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4800/-
10	Technical Officer	Group-B (Gaz.)	1	-	1	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4600/-
11	Information Officer-cum-Librarian	Group-B (Non-Gaz.)	6	-	6	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4600/-
12	Public Relation Officer	Group-B (Non-Gaz.)	6	-	6	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4600/-
13	Senior Judicial Assistant	Group-B (Non-Gaz.)	235 + 208	22	257	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4600/-
14	Senior Personal Assistant	Group-B (Non-Gaz.)	230 + 28	-	230	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4600/-
15	Civil Nazir / District Nazir	Group-B (Non-Gaz.)	79	-	79	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4600/-
16	Assistant Programmer	Group-B (Non-Gaz.)	8	-	8	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4200/-
17	Assistant Public Relation Officer	Group-B (Non-Gaz.)	6	-	6	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4200/-
18	Personal Assistant	Group-B (Non-Gaz.)	256 + 676	- + 22	256 + 698	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4200/-

19	Judicial Assistant	Group-B (Non-Gaz.)	534	-	534	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4200/-
20	Librarian	Group-B (Non-Gaz.)	6	-	6	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4200/-
21	Driver / Staff Car Driver (Special Grade)	Group-B	5	-	5	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4200/-
22	Naib Nazir	Group-C	94	-	94	PB-II	Rs.9300-34800/-	Rs.4200/-
23	Junior Judicial Assistant	Group-C	2268	22	2290	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2800/-
24	Data Entry Operator Grade-B	Group-C	5	-	5	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2800/-
25	Driver / Staff Car Driver (Grade-I)	Group-C	35	-	35	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2800/-
26	Gestetnor Operator/ Dispatch Rider	Group-C	1 + 1	-	1 + 1	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2800/-
27	Balifts	Group-C	51	-	51	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2800/-
28	Data Entry Operator Grade-A	Group-C	5	-	5	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2400/-
29	Driver / Staff Car Driver (Grade-II)	Group-C	30 + 24	- + 7	30 + 31	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2400/-
30	Process Server	Group-C	447	-	447	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2400/-
31	Head Jamadar/ Daftri	Group-C	1 + 5	-	1 + 5	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2400/-
32	Book Binder	Group-C	5	-	5	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2400/-
33	Peon/Orderly/Dak Peon	Group-C	1086	22	1108	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2000/-
34	Chowkidar	Group-C	230	-	230	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2000/-
35	Maali	Group-C	1	-	1	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2000/-
36	Frash / Frash-cum-Dak-Messenger	Group-C	89	-	89	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2000/-
37	Sweeper / Safai Karamchari	Group-C	141	-	141	PB-I	Rs.5200-20200/-	Rs.2000/-

Schedule- B**Group -A**

Srl. No.	Name of the Post (1)	Method of Recruitment (2)	Qualification etc. (3)	Appointing Authority (5)
1.	Senior Administrative Officer (Gazetted) PB-III- 15600-39100+7600/-	Selection on the basis of seniority-cum-Suitability from amongst Administrative Officer (Judicial)	Graduate	High Court
2.	Deputy Controller of Accounts (Gazetted) PB-III- 15600-39100+6600/-	<p>i) To be filled by selection on the basis of seniority-cum-merit from amongst Senior Accounts Officers.</p> <p>(ii) By deputation – where no suitable person for the post is available by way of promotion then it shall be filled by way of deputation.</p>	<p>Promotion:- Minimum service of four years as Senior Accounts Officer.</p> <p>Deputation:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Officer of Delhi Administration Accounts Service (Grade-I) with 4 years regular service in the Pay Band-III with the grade pay of Rs. 5400/-. <p>Note: the service, if any rendered in the Grade-I of the Delhi Administrative Accounts Service or a higher post prior to the notification of Delhi Administrative Accounts Service (Grade-I) Rules, 1983 on 20.04.1983 shall also be taken into account for the purpose of reckoning the above qualifying service of four years.</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) Officers from any of the organized Accounts Service holding posts in the Pay Band-II with the grade pay of Rs. 5400/-. (iii) Audit/Accounts Officers from any of the organized Central Accounts Department with 7 years service in the Pay Band-II with the grade pay of Rs. 5400/-. 	High Court

			High Court
3.	Administrative Officer (Judicial) (Promotion/ Selection Post) (Gazetted) PB-III- 15600-39100+6600/-	<p>a) 25% of vacant posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from joint seniority list of Senior Judicial Assistants and Senior Personal Assistants in the ratio 1:1 i.e. 1 official from Senior Judicial Assistants and 1 from Senior Personal Assistants and that appointment will be made in the respective ratio of posts going to the share of Senior Judicial Assistants and Senior Personal Assistants, provided that the first post will go to Senior Judicial Assistant.</p> <p>b) 75% of vacant posts by selection on merit on the basis of written test and interview from Senior Judicial Assistants and Senior Personal Assistants.</p> <p>c) In case requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b) above, by direct recruitment on the basis of written test and interview.</p>	<p>a) Graduate with 5 years service (Law Graduate to be preferred) in any of the posts of Senior Judicial Assistants and Senior Personal Assistants.</p> <p>b) Graduate with 5 years service (Law Graduate to be preferred) in any of the post of Senior Judicial Assistants and Senior Personal Assistants.</p> <p>c) For direct recruits: Law graduate with 5 years service in the grade pay of Rs.4600/-.</p>
4.	System Analyst Group-I (Executive) (Gazetted) PB-III-15600-39100+6600	<p>By promotion from amongst the post of Programmer with five years regular service in the establishment of District & Sessions Judge, Delhi, failing which by deputation (including) short-term contract), failing both by direct recruitment</p>	<p>1.) (i) Master Degree in Computer Application /Computer Science/ Master Degree or M.Tech (with specialization in Computer Application) or B.E/B.Tech in Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology of a recognized University or equivalent (ii) Five years experience in Electronics Data Processing out of which two years experience should be in actual programming</p> <p style="text-align: center;">Deputation</p> <p style="text-align: right;">Officers under Central/State Govts/Union</p>

<p>Territories Recognised Institutions/Public Sector Undertakings/ Autonomous Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous post, on regular basis,</p> <p>OR</p> <p>(ii) with five years regular service in the pay scale of Rs.8000-13500 (mention the equivalent new scale) or equivalent post.</p> <p>OR</p> <p>(iii) Eight years regular service in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500(mention the new scale) or equivalent and</p> <p>(b) Possessing the educational and other qualifications prescribed under column (4).</p>	<p>2) (i) Degree in Computer application/Computer Science or Degree in Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Seven years experience in Electronics Data Processing work out of which at least three years' experience should be in actual programming.</p> <p>OR</p> <p>3) (i) Masters Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engineering of a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Eight years experience in Electronics Data Processing work, out of which at least four years' experience should be in actual programming.</p> <p>OR</p> <p>4) (i) "A" Level Diploma under DOEACC programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme/ Post Polytechnic Diploma in Computer Application awarded by State Council of Technical Education or equivalent</p> <p>(ii) Eight years experience in Electronics Data Processing work out of which at least four years' experience should be in actual programming.</p>
---	---

	Age limit: not exceeding 40 years (relaxable for Govt. Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : (1) The crucial date for determining the age limit shall be the 1 st day of January of the year in which the process of recruitment is initiated. (2) The qualification and experience are relaxable at the discretion of the District Judge, Delhi, in case of candidates otherwise well qualified.	
5.	Senior Accounts Officer (Gazetted) PB-III- 15600-39100+5400	By promotion/ Selection on the basis of seniority-cum-ment from amongst Accounts Officers. Minimum service of three years as Accounts Officer

Group-B		Method of Recruitment	Qualification etc.	Appointing Authority
Sr.I. No.	Name of the Post	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)			
6.	Senior Librarian Grade 'A' (Gazetted) PB-II-9300-34800+5400/-	To be appointed by way of promotion from amongst Information Officer-cum-Librarian, but if no suitable candidate is available then by direct recruitment through written test or interview as may be deemed appropriate by the Appointing Authority.	(i) Promotion:- Minimum service of four years as Information Officer-cum-Librarian; (ii) Direct Recruitment:- Masters Degree in Library Science/Information Science/Documentation OR an equivalent grade of B in the UGC 7 point scale plus a consistently good academic record.	District Judge
7.	Programmer Group -II (Executive) (Gazetted) PB-II-9300-34800+5400/-	By promotion from amongst the post of Assistant Programmer with five years regular service in the establishment of District & Sessions Judge, Delhi, failing which by deputation (including short-term contract). failing both, by direct recruitment	Deputation Officers under Central/State Govts./Union Territories (a) (i) holding analogous post, on regular basis in the Parent Cadre/Dept. OR (ii) with two years regular service in the pay scale of Rs 7500-12000 (mention the equivalent new scale) or equivalent post in the Parent post in the Parent cadre/department.	District Judge 1) (i) Master Degree in Computer Application /Computer Science/ Master Degree or M.Tech (with specialization in Computer Application) or B.E/B.Tech in Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology of a recognized University or equivalent (ii) Four years experience in Electronics Data including experience of actual programming. OR 2)(i) Degree in Computer application/Computer Science or Degree in Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent (ii) Five years experience in Electronics Data Processing work out of which at least two years' experience should be in actual programming.

<p>(iii) Five years regular service in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500(mention the new scale) or equivalent in the Parent cadre/department and</p> <p>(b) Possessing the educational and other qualifications prescribed under column (4).</p> <p>Direct Recruitment</p> <p>In case no suitable candidate is available through promotion/deputation, the post will be filled up by direct recruitment.</p>	<p>OR</p> <p>3) (i) Masters Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engineering of a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Six years experience in Electronics Data Processing work, out of which at least three years' experience should be in actual programming.</p> <p>OR</p> <p>4)(i) "A" Level Diploma under DOEACC programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme/ Post Polytechnic Diploma in Computer Application awarded by State Council of Technical Education or equivalent.</p> <p>(ii) Six years experience in Electronics Data Processing work out of which at least three years' experience should be in actual programming.</p> <p><u>Age limit:</u> not exceeding 35 years (relaxable for Govt. Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note : (1) The crucial date for determining the age limit shall be the 1st day of January of the year in which the process of recruitment is initiated.</p> <p>(2) The qualification and experience are</p>	

			relaxable at the discretion of the District Judge, Delhi, in case of candidates otherwise well qualified.	
8.	Accounts Officer (Gazetted) PB-II- 9300-34800+5400/-	By promotion from amongst Accounts Officer on the basis of seniority-cum-merit	Minimum service of three years as Assistant Accounts Officer.	District Judge
9.	Assistant Accounts Officer (Gazetted) PB-II-9300-34800+4800/-	By Selection on the basis of seniority-cum-merit from amongst Group 'B' or 'C' officials in the establishment of District & Sessions Judge, Delhi ,having requisite qualification and experience	Qualification: Diploma in Accounts Service Part I & II with degree of B.Com and having adequate knowledge in Budget and Cash with 5 years service in the establishment of District Courts.	District Judge
10.	Technical Officer (Gazetted) PB-II-9300-34800+4600/-	By direct recruitment on the basis of interview	1. Possessing a Degree in Mechanical/ Automobile Engineering of a recognized University / Board or equivalent. 2. Two years practical experience in any automobile workshop of repute. NOTE: 1. Qualifications are Relaxable at the discretion of the District & Sessions Judge in case of candidates otherwise well qualified. Note: 2. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of District & Sessions Judge, in case of candidates belonging to SC/ST, if he is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies	District Judge
11.	Information Officer-cum-Librarian	To be appointed by way of promotion from amongst Librarian on the basis of	Age Limit for Direct Recruitment : Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servant)	District Judge
			Minimum service of six years as Librarian	

	(Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4600/-	seniority-cum-merit.	
12.	Public Relation Officer (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4600/-	By promotion on the basis of seniority-cum-merit, from the post of Assistant Public Relation Officer.	Minimum six years of service as Assistant Public Relation Officer
13.	Senior Judicial Assistant (Promotion/Selection Post) (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4600/-	<p>a) 50% of the vacant posts by promotion on the basis of seniority-cum-suitability from Judicial Assistants.</p> <p>b) 50% of the vacant posts by selection on merit from Judicial Assistants on the basis of written test and interview, failing which;</p> <p>c) By direct recruitment on the basis of written test and interview.</p>	<p>a) For members of the Establishment of this Court: Graduate with 5 years service and non-graduate with 8 years service in the posts of Judicial Assistants.</p> <p>b) For members of the Establishment of this Court: Graduate with 5 years service and non-graduate with 8 years service in the posts of Judicial Assistants.</p> <p>c) For direct recruits: Graduates.</p>
14.	Senior Personal Assistant (Promotion/Selection Post) (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4600/-	<p>a) 50% of the vacant posts by promotion from Personal Assistants on the basis of seniority-cum-suitability on the basis of shorthand dictation to be transcribed on Computer /Typewriter.</p> <p>b) 50% of the vacant posts by direct recruitment on the basis of written examination comprising of one paper in English language (Essay, Grammar and Translation) followed by a Shorthand dictation to be transcribed on Computer/Typewriter. The short listed candidates would also undergo a viva voce test.</p>	<p>a) For members of the Establishment: 3 years service as Personal Assistant.</p> <p>b) For direct recruits: Graduate with speed of not less than 110 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting.</p>
15.	Civil Nazir /District Nazir (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4600/-	By promotion from amongst Naib Nazirs on the basis of Seniority-cum-Merit.	Minimum service of five (5) years as Naib Nazir in the establishment of the District & Sessions Judge, Delhi.

<p>16. Assistant Programmer (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4200</p>	<p>By Direct Recruitment</p> <p>Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Govt./Govt. of NCT of Delhi holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruitment under columns no. (4)</p>	<p>District Judge</p> <p>1) Master Degree in Computer Application /Computer Science/ Master Degree or M.Tech (with specialization in Computer Application) or B.E/B.Tech in Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology of a recognized University or equivalent</p> <p>OR</p> <p>2) (i) Degree in Computer application/Computer Science or Degree in Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Two years experience in Electronics Data Processing work including experience of actual programming.</p> <p>OR</p> <p>3) (i) Masters Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engineering of a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Three years experience in Electronics Data Processing work including experience of actual programming.</p> <p>OR</p> <p>4) (i) "A Level Diploma under DOEACC programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme/ Post Polytechnic Diploma in Computer Application awarded by State Council</p>
---	--	---

		of Technical Education or equivalent.	
		(ii) Three years experience in Electronics Data Processing work including experience of actual programming.	
		Age limit: not exceeding 30 years (relaxable for Govt. Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	
		Note : (1) The crucial date for determining the age limit shall be the 1 st day of January of the year in which the process of recruitment is initiated.	
		(2) The qualification and experience are relaxable at the discretion of the District Judge, Delhi, in case of candidates otherwise well qualified.	
17.	Assistant Public Relation Officer (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4200/-	a) By selection on merit (on the basis of written test and interview) from amongst Group 'C' officials. b) In case requisite number of candidates do not qualify in terms of provisions of clause (a) above, then by direct recruitment on the basis of written test and interview.	a) Group 'C' officials having five years experience in the establishment *of District & Sessions Judge. b) Graduate/Bachelor Degree from a recognized University with good knowledge of computer. (Post Graduate Diploma holders in Public Relation will be preferred)
18.	Personal Assistant (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4200	By direct recruitment on the basis of written test and interview.	District Judge Graduate with Shorthand speed of 100 words per minute and typing speed of 40 words per minute and having knowledge of Computer.
19.	Judicial Assistant (Promotion Post) (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4200	By promotion from Junior Judicial Assistants on the basis of seniority-cum-suitability alone.	District Judge For members of the Establishment of this Court: Graduate with 5 years and non-graduates with 10 years of service from Junior Judicial Assistants.

20.	Librarian (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4200/-	Direct Recruitment through an open Competitive Exam.	Bachelor Degree in Library Science from a recognized University	District Judge
21.	Driver/Staff Car Driver (Special Grade) PB-II-9300-34800+4200/-	By promotion on the basis of seniority-cum-merit from the category of Driver/Staff car driver (Grade-I) (5% of the cadre of Driver/Staff car Driver Grade-I having three years regular service may be appointed on the basis of seniority-cum-merit.)	Three years Regular service in the cadre of Driver/Staff Car Driver (Grade-I) in the establishment of the District & Sessions Judge, Delhi	District Judge

<u>Group-C</u>					
Srl. No.	Name of the Post	Method of Recruitment	Qualification etc.	Appointing Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
22.	Naib Nazir PB-II-9300- 34800+4200/-	By promotion from amongst Bailiffs /Process servers on the basis of seniority-cum-merit	Graduate with minimum service of five years as Bailiff in the establishment of the District & Sessions Judge, Delhi. Or Graduate with minimum service of eight (8) years as Process Server in the establishment of the District & Sessions Judge, Delhi.	District Judge	
23.	Junior Judicial Assistant PB-I-5200-20200+2800/-	a) 80% of posts by direct recruitment on the basis of written test and interview. b) 20% of the vacant posts by promotion from Head Jamadar/Daftari/ Book Binder/ Peon/Orderly/ Dak Peon/ Frash/cum-Dak Messenger/ Chowkidar/ Maali/ Sweeper/ Safai Karamchari on the basis of written test and interview.	a) Graduate with typing speed of not less than 40 words per minute on Computer. b) By promotion from members of the Establishment of this Court: (i) Matriculation pass or equivalent from a recognized board from the category of Head Jamadar/Daftari (ii) Matriculation pass or equivalent from a recognized board having five years service from the categories of Book Binder/ Peon/Orderly/ Dak Peon / Frash/Frash-cum-Dak Messenger / Chowkidar/ Maali/ Sweeper/ Safai Karamchari. They should have knowledge of English and speed of not less than 35 w.p.m. in typewriting.	District Judge	

5695 DG/13-17

24. Data Entry Operator (Grade-B)
PB-I-5200-20200+2800/-

By promotion from amongst Data Entry Operators (Grade-A) on the basis of seniority-cum-merit.

130

DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY

[PART IV]

			Minimum service of four years as Data Entry Operator (Grade-A) in the establishment of District & Sessions Judge, Delhi.	District Judge
25.	Driver/Staff Car Driver Grade -I PB-I-5200-20200+2800/-	By promotion on the basis of seniority-cum-merit from the category of Driver/Staff car driver (Grade-II)	Six years regular service in the cadre of Driver/Staff Car Driver (Grade-II) in the establishment of the District & Sessions Judge.	District Judge
26.	Gestetnor Rider PB-I-5200-20200+ 2800/-	By promotion, on the basis of seniority-cum merit, from categories.. Head Jamadar/ Daffri/Book Binder/ Peon/ orderly/ Dak Peon/Frash/cum-Dak Messenger/ Chowkidar/ Maali / Sweeper / Safai Karamchari, in the establishment of the District & Sessions Judge	<p>By promotion from the members of establishment of this court :</p> <p>(i) Matriculation pass or equivalent from a recognized board from the category of Head Jamadar/Daffri</p> <p>(ii) Matriculation pass or equivalent from a recognized board with five years service in the categories of Book Binder/Peon/orderly/ Dak Peon / Frash/Frash-cum-Dak Messenger/ Chowkidar/ Maali/ Sweeper/ Safai Karamchari, in the establishment of the District & Sessions Judge.</p>	District Judge
27.	Bailiff PB-I-5200-20200+2800/-	By promotion from amongst Process Servers on the basis of seniority-cum-	<p>Note (1): For the post of Gestetnor Operator proficiency in handling of Gestetnor Machine is required.</p> <p>Note (2): For the post of Dispatch Rider, Driving licence of LMV is required. (Preference to be given to the candidates who can also drive the three wheeler van and the motor cycle).</p> <p>Matriculation pass or equivalent from a recognized board with minimum service</p>	District Judge


		merit	of three years as Process Server in the establishment of the District & Sessions Judge, Delhi.	District Judge
28.	Data Entry Operator (Grade-A) PB-I-5200-20200+2400/-	By Direct recruitment through an open competitive examination and skill test	<p>a) 12th standard pass from a recognized Institution/board or equivalent (preference will be given to Graduates)</p> <p>b) Diploma/Certificate course in IT/Computer field (Preference will be given to 'O' Level Certificate)</p> <p>c) Knowledge of Data Entry/Computer Operation. (Candidate should have minimum of one year experience in Data Entry Operations).</p>	District Judge
29.	Driver/Staff Car Driver (Grade-II) PB-I- 5200-20200+ 2400/-	By direct recruitment through skill test and interview	Matriculation pass or equivalent from a recognized board/Higher Secondary from a recognized board With valid driving licence of LMV and 2 years unblemished experience in the line.	District Judge
30.	Process Server PB-I-5200-20200+2400/-		<p>a) 50% of the vacant posts by selection on the basis of objective test, driving test and interview, from the incumbents of categories: Head Jamadar/Daftari/Book Binder/Peon/ orderly/ Dak Peon /Frash/ Frash-cum-Dak Messenger/ Chowkidar/ Maali/Sweeper/Safai Karamchari in the establishment of the District & Sessions Judge, failing which posts will be filled up from direct quota.</p> <p>a) By promotion from the members of establishment of this court:</p> <p>(i) Matriculation pass or equivalent from a recognized board from the category of Head Jamadar/Daftari</p> <p>(ii) Matriculation pass or equivalent from a recognized board with five years service in the categories of Book Binder/Peon/orderly/ Dak Peon / Frash/Frash-cum-Dak Messenger/ Chowkidar/ Maali/ Sweeper/ Safai Karamchari, in the establishment of the District & Sessions Judge.</p>	District Judge


		with valid driving licence of LMV and 2 years unblemished driving experience.
b)	50% of the vacant post by direct recruitment on the basis of objective test, driving test and interview.	b) For Direct recruits Matriculation pass or equivalent from a recognized board /Higher Secondary with driving licence of LMV and 2 years unblemished driving experience.
31.	Head Jamadar/Daftri PB-I- 5200-20200+2400/-	By promotion, on the basis of seniority-cum merit, from categories: Peon/orderly/Dak Peon/ Frash/Frash-cum-Dak Messenger/ Chowkidar /Maali/ Sweeper /Safai Karamchari, in the establishment of the District & Sessions Judge
32.	Book Binder PB-I- 5200-20200+2400/-	By direct recruitment on the basis of objective test and interview
33.	Peon/Orderly/Dak Peon PB-I- 5200-20200+2000/-	By direct recruitment on the basis of objective test and interview
34.	Chowkidar PB-I- 5200-20200+2000/-	By direct recruitment on the basis of objective test and interview
35.	Maali PB-I- 5200-20200+2000/-	By direct recruitment on the basis of objective test and interview
36.	Frash/Frash-cum-Dak Messenger PB-I- 5200-20200+2000/-	By direct recruitment on the basis of objective test and interview
37.	Sweeper/Safai Karamchari PB-I- 5200-20200+2000/-	By direct recruitment on the basis of objective test and interview


The earlier nomenclature has been mentioned against each of the boxes


OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE: DELHI


HIERARCHY CHART











Gestetnor Operator/Dispatch
Rider
Rs.5200-20200/-
GP Rs.2800/-
PB-1

Head Jamadar/Daftri/Book Binder
Rs.5200-20200/-
GP Rs.2400/-
PB-1

Peon/Orderly/Dak Peon/
Frash/Frash-cum-Dak-
Messenger/Chowkidar/Maali/
Sweeper/Safai Karamchari
Rs.5200-20200/-
GP Rs.2000/-
PB-1

Technical Officer
Rs.9300-34800/-
GP Rs.4600/-
PB-2

Post of Technical Officer shall be a selection post and filled by direct recruitment (by interview).